



दि ओरिएण्टल इश्योरेंस कंपनी लि.
(भारत सरकार द्वारा पूर्ण स्वामित्व)

प्रधान कार्यालय : ए-25/27, आसफ अली रोड, नई दिल्ली - 110002

सिन: [U66010DL1947GOI007158](#)

वेबसाईट: www.orientalinsurance.org.in

संदर्भ सं. OICL/Rect/DRE-2016-17/AO-I

दिनांक: जुलाई 31, 2017

ओरिएण्टल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में 300 प्रशासनिक अधिकारियों (स्केल-1) की भर्ती

दि ओरिएण्टल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, सार्वजनिक क्षेत्र की एक अग्रणी तथा पूर्णतः भारत सरकार के स्वामित्व वाली साधारण बीमा कंपनी ओपन मार्केट से स्केल-1 के संवर्ग में 300(तीन सौ) अधिकारियों की भर्ती हेतु आवेदन आमंत्रित करती है।

कृपया महत्वपूर्ण तिथियों को नोट करें (टेंटेटिव):

रोजगार समाचार में विज्ञापन का प्रकाशन	अगस्त 2017
ऑन-लाईन पंजीकरण प्रारंभ / फीस का भुगतान	18.08.2017
ऑन-लाईन पंजीकरण / फीस के भुगतान की अंतिम तिथि	15.09.2017
ऑन-लाईन परीक्षा की तिथियां	चरण - I : 22.10.2017 (टेंटेटिव) चरण - II : 18.11.2017 (टेंटेटिव)

उम्मीदवार केवल ऑन-लाईन तरीके से ही आवेदन करेंगे। आवेदन का अन्य कोई तरीका स्वीकार्य नहीं होगा।

रिक्तियां:

विषय	पदों की सं.	अनु.जाति	अनु.जनजाति	ओबीसी	यूआर	पीडब्ल्यूडी (एचआई/वीआई/ओसी)
लेखा	20	44	21	77	158	सरकारी नियमों के अनुसार
बीमांकक	02					
इंजीनियर (ऑटोमोबाइल)	15					
विधिक	30					
चिकित्सा अधिकारी	10					
सामान्य	223					
कुल	300					

संक्षिप्त रूपों से तात्पर्य है: यूआर: अनारक्षित; अनु.जाति: अनुसूचित जाति; एसटी: अनुसूचित जनजाति; ओबीसी: अन्य पिछड़ा वर्ग. पीडब्ल्यूडी: दिव्यांग व्यक्ति; एचआई: बधिर; वीआई: दृष्टिहीन; ओसी: ऑर्थोपेडिक विकलांग के रूप में स्वीकृत

उपरोक्त रिक्तियां अस्थायी हैं तथा किसी भी समय कंपनी की वास्तविक अपेक्षाओं के अनुसार इन्हें बदला जा सकता है। विविध वर्गों के अंतर्गत आरक्षण अंतिम परिणाम के समय उपलब्ध सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार होगा। .

नोट:

i) ओबीसी श्रेणी वाले उम्मीदवार परंतु 'क्रीमी लेयर' में आने वाले ओबीसी आरक्षण तथा आयु में छूट के पात्र नहीं होंगे। वे अपनी श्रेणी सामान्य दर्शाएं। -

ii) विषय-वार दर्शाए गए क्रमांक अस्थायी / सूचक हैं। उपरोक्त वर्णित किसी भी विषय में से उम्मीदवार का चयन न करने का अधिकार कंपनी के पास सुरक्षित है। उपरोक्त वर्णित विषय-वार क्रमांकों को भर्ती प्रक्रिया की किसी भी स्थिति में परस्पर बदला जा सकता है।

iii) दिव्यांग व्यक्तियों(पीडब्ल्यूडी) के लिए आरक्षण उपलब्ध सरकारी नियमानुसार होंगे।

नोट: उम्मीदवार किसी एक विषय के लिए ही आवेदन कर सकता है। किसी भी उम्मीदवार द्वारा एक से अधिक आवेदन नहीं किए जाएंगे। बहुत से आवेदन पाए जाने पर केवल (पूर्ण भरे हुए) अंतिम आवेदन को ही मान्य माना जाएगा तथा अन्य गलत पंजीकरण हेतु भरा गया आवेदन प्रभार / सूचना प्रभारों को रद्द माना जाएगा।

राष्ट्रीयता

कंपनी में भर्ती हेतु आवेदन करने वाले उम्मीदवार को -

(क) भारत का नागरिक, या (ख) नेपाल के शासनाधीन, या (ग) भूटान के शासनाधीन, या (घ) तिब्बत का शरणार्थी जो 1 जनवरी 1962 से पूर्व भारत में स्थायी रूप से बसने की इच्छा से आया हो, या (ड.) भारत मूल का व्यक्ति जो पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीका के देश जैसे कि केन्या, यूगांडा, यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तन्जानिया, जांबिया, मालावी, जैरे, इथियोपिया तथा वियतनाम से भारत में स्थाई रूप से बसने की इच्छा से आया हो, होना जरूरी है।

बशर्ते कि (ख), (ग), (घ) और (ड.) श्रेणी वाला व्यक्ति वह हो जिसके पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण पत्र जारी किया गया हो।

कृपया नोट करें कि यहां पर निर्दिष्ट पात्रता मापदण्ड पद के आवेदन हेतु मूल मापदण्ड हैं। साक्षात्कार के समय उम्मीदवार द्वारा सभी संबद्ध दस्तावेज मूल रूप में प्रस्तुत किए जाने अनिवार्य हैं तथा ऑन-लाइन आवेदन फार्म में इंगित राष्ट्रीयता, आयु, शैक्षणिक योग्यताओं तथा श्रेणी से संबद्ध पात्रता तथा अपनी पहचान के समर्थन में स्वयं द्वारा सत्यापित प्रतियां प्रस्तुत करना अनिवार्य है। कृपया नोट करें कि ऑन-लाइन आवेदन की पंजीकरण प्रक्रिया पूरी होने के बाद किसी भी स्थिति में आवेदन संबंधी डाटा में परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाएगी। केवल पद हेतु आवेदन करने तथा ऑन-लाइन परीक्षा और/या अनुवर्ती साक्षात्कार और/या अनुवर्ती प्रक्रियाओं में शार्टलिस्ट किए जाने का यह तात्पर्य नहीं है कि उम्मीदवार को कंपनी में रोजगार प्रदान किया ही जाएगा। आवेदन किए गए श्रेणी/पद हेतु उम्मीदवारी के अलावा अन्य किसी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

1. सेवा शर्तें

सेवा शर्तें कंपनी में समय-समय पर विद्यमान नियमों के अनुसार लागू होंगी। नियुक्ति हेतु चुने गए उम्मीदवारों को भारत में किसी भी स्थान पर, जैसा कंपनी का निर्णय हो, तैनात या स्थानांतरण किया जा सकता है। कृपया नोट करें कि उपरोक्त रिक्तियां, मुख्यतः कर्नाटक के हुबली क्षेत्र, गुजरात राज्य, तमिलनाडू, केरल, मुम्बई और इसके उपनगरों में हैं। तैनाती के आरंभिक स्थान पर न्यूनतम 5 वर्षों के लिए रहना होगा।

2. परिवीक्षा

कंपनी के नियमित वेतन पत्रक में अधिकारी के संवर्ग में नियुक्ति किसी भी उम्मीदवार को अपना कार्यभार संभालने की तिथि से एक वर्ष के लिए परिवीक्षा की अवधि पर जाना होगा। परिवीक्षा अवधि को छः माह हेतु दो बार बढ़ा कर 1 वर्ष और तक विस्तारित किया जा सकता है।

परिवीक्षा अवधि के दौरान अधिकारियों को इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित गैर जीवन 'लाईसेंसिएट परीक्षा' पास करनी होगी। कथित परीक्षा पास करने के बाद ही अधिकारी कंपनी में अपनी सेवाओं के स्थायीकरण का पात्र होगा। विस्तारित परिवीक्षा अवधि के दौरान कथित परीक्षा को पास न करने पर निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर अधिकारी की सेवा को समाप्त किया जा सकता है।

परिवीक्षा या विस्तारित परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय अयोग्य पाए जाने पर उम्मीदवार की सेवाओं को समाप्त करने का अधिकार कंपनी के पास सुरक्षित है। .

3. गारंटी बॉण्ड

परिवीक्षाधीन व्यक्ति के रूप में कार्यभार संभालने से पूर्व चुने गए उम्मीदवारों को अपने परिवीक्षा अवधि सहित न्यूनतम 4 वर्षों तक कंपनी में सेवारत रहने का वचनपत्र देना होगा। बॉण्ड की अवधि समाप्ति होने से पूर्व कंपनी से त्यागपत्र देने की स्थिति में वे परिवीक्षा वर्ष के दौरान उन्हें दी गई 01 वर्ष के सकल वेतन के बराबर भुगतान करना होगा जिसे सेवा की अवधि के आधार पर आनुपातिक रूप से कम किया जा सकता है। इसके अलावा उसे 01 वर्ष की सकल वेतन के बराबर राशि का अच्छी वित्तीय स्थिति के दो जमानतियों (जिनसे खून का रिश्ता न हो) द्वारा निष्पादित स्टैंप लगा बॉण्ड भरना होगा।

परिवीक्षा अवधि के दौरान कंपनी से त्यागपत्र देने वाले उम्मीदवारों तथा कंपनी द्वारा सेवाएं समाप्त किए जाने वाले उम्मीदवारों को अपनी परिवीक्षा अवधि के दौरान प्राप्त वेतन के अलावा प्रशिक्षण लागत राशि 40,000/- रूपए की आंशिक राशि का भुगतान करना होगा। वर्तमान नियोक्ता के साथ मूल पद को वापस लेने के लिए किसी भी बॉण्ड/लियन को लेने के लिए कंपनी बाध्य नहीं होगी तथा कोई भी अवकाश वेतन या पेंशन अंशदान भी नहीं दिया जाएगा।

4. परिलब्धियां एवं सुविधाएं:

32795-1610(14)-55335-1745(4)-62315 रूप के स्केल में 32795/- रूप का मूल वेतन तथा अन्य लागू देय भत्ते / महानगरीय केन्द्रों में कुल परिलब्धियां लगभग रू.51000/- प्रतिमाह होगी। पीएफआरडीए द्वारा शासित नई पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन, ग्रेच्युटी, एलटीएस, चिकित्सकीय लाभ, समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा जैसी अन्य सुविधाएं नियमों के अनुसार होंगी। अधिकारी नियमानुसार कंपनी की/ पट्टे पर आवास के भी हकदार होंगे।

5. शैक्षणिक योग्यताएं (31.07.2017 को)

उम्मीदवार के पास न्यूनतम योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक/ किसी भी विषय में स्नातकोत्तर हो या केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त इसके समकक्ष की योग्यता हो जैसा कि निम्न तालिका में दर्शाया गया है -

उम्मीदवारों के पास दिनांक 31.07.2017 को परीक्षा पास करने का प्रमाण के रूप में प्रमाण पत्र होना चाहिए।

नोट:

1. शैक्षणिक योग्यता भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त/ सरकारी विनियामक नियमों द्वारा स्वीकृत बोर्ड / संस्थान / विश्वविद्यालय से प्राप्त हो तथा परिणाम 31.07.2017 तक या पूर्व घोषित किए जा चुके हों।
2. बोर्ड / विश्वविद्यालय द्वारा 31.07.2017 को या इससे पूर्व घोषित परिणाम से संबद्ध उचित दस्तावेज को साक्षात्कार के समय प्रस्तुत किया जाए।
3. उम्मीदवार के पास 31.07.2017 को मान्य मार्कशीट / आवश्यक योग्यता का डिग्री प्रमाण पत्र हो।
4. विश्वविद्यालय की डिग्री/ अंतिम मार्कशीट में प्रतिशत अंकों का उल्लेख होना चाहिए। प्रतिशत के उतार-चढ़ाव को नहीं माना जाएगा जैसे कि 59.99% को 60% से कम माना जाएगा।
5. जहां सीजीपीए/ओजीसीए दिए गए हैं, वहां उम्मीदवार को उचित प्राधिकरण द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। जिसमें ग्रेड को प्रतिशत में बदलने संबंधी नियम बताए गए हों तथा नियमानुसार उम्मीदवार द्वारा अर्जित अंकों का प्रतिशत बताया गया हो।

क्र.सं.	विषय	न्यूनतम योग्यता (मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक/स्नातकोत्तर की डिग्री)
1	लेखा	अनु.जाति/अनु.जनजाति हेतु किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 55% के साथ तथा अन्य के लिए 60% के साथ एम.कॉम। या चार्टर्ड अकाउंटेंट (आईसीएआई) या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट (दि इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया) जिसे पहले कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट (आईसीडब्ल्यूएआई) के रूप में जाना जाता था। या अनु.जाति/अनु.जनजाति हेतु 55% तथा अन्य के लिए 60% के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एमबीए (फाईनैस)
2	बीमांकक (एक्च्युरीज़)	अनु.जाति/अनु.जनजाति के उम्मीदवारों हेतु किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी क्षेत्र में 55% सहित तथा अन्य के लिए 60% के साथ स्नातक तथा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्च्यूरियस ऑफ इंडिया (आईएआई) तथा फैंकल्टी ऑफ एक्च्युरी, यूके (आईएफओए) से बीमांकक के 4 पेपर पास किए हों
3	इंजीनियर्स (ऑटोमोबाइल)	अनु.जाति/अनु.जनजाति के उम्मीदवारों हेतु किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग एक विषय के रूप में 55% के साथ तथा अन्य के लिए 60% के साथ इंजीनियरिंग में स्नातक/स्नातकोत्तर की डिग्री (4 या 5 वर्ष)
4	विधिक	अनु.जाति/अनु.जनजाति के उम्मीदवारों हेतु किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 55% के साथ तथा अन्य के लिए 60% के साथ विधिक में स्नातक
5	चिकित्सा अधिकारी	एम.बी.बी.एस.
6	जनरलिस्ट	अनु.जाति/अनु.जनजाति के उम्मीदवारों हेतु किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी क्षेत्र में 55% सहित तथा अन्य के लिए 60% के साथ स्नातक

नोट:

- 1) उपरोक्त वर्णित योग्यताएं यूजीसी द्वारा विधिवत् रूप से स्वीकृत मान्यता प्राप्त भारतीय विश्वविद्यालय या एआईसीटीई से विधिवत् रूप से मान्यता प्राप्त भारतीय इंस्टीट्यूट से प्राप्त होनी चाहिए।
- 2) योग्यता के बाद विशेष क्षेत्रों में अनुभव वाले उम्मीदवारों को वरीयता दी जाएगी। इस संबंध में कंपनी का निर्णय अंतिम होगा।
- 3) उम्मीदवार के पास 31.07.2017 को अपनी आवश्यक योग्यता का डिग्री प्रमाण पत्र/मार्कशीट अवश्य होनी चाहिए।

6. 31.07.2017 को आयु

दिनांक 31.07.2017 न्यूनतम आयु: **21 वर्ष** अधिकतम आयु: **30 वर्ष**

यानि कि उम्मीदवार का जन्म 1 अगस्त 1987 से पूर्व तथा 31 जुलाई 1996 (दोनों तिथियां शामिल) के बाद नहीं होना चाहिए।

उच्चतर आयु सीमा में छूट निम्नानुसार हैं:

क्र.सं.	श्रेणी	आयु में छूट
1	अनु.जाति/अनु.जनजाति	5 वर्ष
2	अन्य पिछड़े वर्ग (नॉन क्रीमी लेयर)	3 वर्ष
3	विकलांग व्यक्ति	10 वर्ष
4	भूतपूर्व सैनिक, आयुक्त अधिकारी सहित आपातकालीन आयुक्त अधिकारी (ईसीओ)/ अल्पसेवा आयुक्त अधिकारी (एसएससीओ) जिन्होंने 31.07.2017 तक 5 वर्ष फौज में सेवा की है तथा जिन्हें; (क) दुराचार या अक्षमता के कारण पदच्युत के अलावा 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने पर (इनमें वे भी शामिल हैं जिनका मार्च 31.07.2017 से 1 वर्ष के भीतर पूरा हो जाना है); या (ख) फौजी सेवा के कारण शारीरिक विकलांगता ; या (ग) अशक्ता के कारण मुक्त कर दिया हो। ईसीओ/एसएससीओ जिन्होंने 31.07.2017 को फौजी सेवा के आरंभिक पांच वर्ष पूरे कर लिए हैं तथा जिनके काम की अवधि पांच वर्ष से अधिक हो गई है तथा किस विषय में रक्षा मंत्रालय ने यह प्रमाण पत्र जारी किया है कि वे गैर-फौजी नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं तथा चुने जाने पर उन्हें नियुक्ति प्रस्ताव प्राप्त होने की तिथि से तीन माह के नोटिस पर मुक्त कर दिया जाएगा।	5 वर्ष
5	विदेश में किसी से शत्रुता के दौरान या किसी संकटपूर्ण क्षेत्र में या उसके परिणामस्वरूप विकलांग हुए रक्षा सेवा कार्मिक	3 वर्ष
6	1-1-80 से 31.12.1989 के दौरान जम्मू कश्मीर राज्य में सामान्य रूप से अधिवासिक व्यक्ति	सामान्य: 5 वर्ष ओबीसी: 8 वर्ष अनु.जा./अनु.ज.जा.:10 वर्ष
7	सार्वजनिक क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनियों (सा.बी.नि. एवं एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया सहित)	8 वर्ष

नोट:

- i. यदि कोई उम्मीदवार उपरोक्त श्रेणियों में एक से अधिक में छूट का पात्र है तो आयु में छूट संचयी आधार पर उपलब्ध होगी लेकिन अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक न होगी।
- ii. आयु में छूट प्राप्त करने वाले उम्मीदवार(रों) को आवश्यक प्रमाणपत्रों की प्रतियां प्रस्तुत करनी होंगी तथा मूल प्रतियों को साक्षात्कार के समय और/या भर्ती प्रक्रिया के किसी भी अनुवर्ती स्थिति में जांच हेतु प्रस्तुत करनी होंगी।
- iii. यदि सार्वजनिक क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनी (सा.बी.नि. तथा एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया के विद्यमान स्थायी कर्मचारी) के रूप में कोई भी विकलांग व्यक्ति आयु में छूट प्राप्त करने का पात्र है तो उसे 'विकलांग व्यक्ति' या सार्वजनिक क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनी (सा.बी.नि. तथा एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया के विद्यमान स्थायी कर्मचारी) में से कोई एक छूट जो उसे ज्यादा लाभदायक होगी, ही प्रदान की जाएगी।
- iv. अधिकारियों के संवर्ग में भूतपूर्व सैनिकों के लिए कोई आरक्षण नहीं है।

7. परिभाषाएं:

- 1) **भूतपूर्व सैनिक (ईएक्सएसएम):** केवल उन्हीं व्यक्तियों को ही भूतपूर्व सैनिक माना जाएगा जो भारत सरकार, गृहमंत्रालय तथा कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार दिनांक 27.01.1986 की अधिसूचना क्रमांक.36034/5/85 स्था. (एससीटी) में निर्दिष्ट संशोधित परिभाषा को पूरी करते हों।
- 2) **दिव्यांग भूतपूर्व सैनिक (डीआईएसएसएस):** जो भूतपूर्व सैनिक संघ की सशस्त्र सेनाओं में सेवारत रहते हुए शत्रु के विरुद्ध आपरेशन के दौरान या संकटग्रस्त क्षेत्र में दिव्यांग हो गए उन्हें डीआईएसएसएस के रूप में माना जाएगा।
- 3) **दिव्यांग व्यक्ति:** दिव्यांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों की सुरक्षा तथा पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 के खंड 33 के अंतर्गत केवल वही व्यक्ति आरक्षण के पात्र होंगे जो संबद्ध दिव्यांगता से कम-से-कम 40% तक पीडित हैं तथा केन्द्रीय/राज्य सरकार द्वारा नियुक्त चिकित्सीय बोर्ड द्वारा प्रमाणित हैं। तदनुसार, निम्न योग्यताओं वाले उम्मीदवार ही आवेदन करने के पात्र हैं:

I. दृष्टिहीन व्यक्ति (वीआई)

नेत्रहीनता से तात्पर्य उस स्थिति से है जब व्यक्ति निम्न दशाओं में से किसी एक में से पीडित है: (क) नजर की पूर्ण अनुपस्थिति, (ख) सही लेंसों के साथ बेहतर आंख में 6/60 या 20/200 (स्नेलन) से अधिक देखने की क्षमता न होना. (ग) दृष्टि का क्षेत्र 20 डिग्री या इससे भी कम तक सीमित होना।

कम दृष्टि से तात्पर्य है वह व्यक्ति जिसकी उपचार के बाद या मानक परिवर्तित सुधार के बाद भी दृष्टि कमजोर हो लेकिन किसी काम को करने हेतु किसी उचित सहयोगी साधन द्वारा देखने की क्षमता रखता हो।

II. बहरे एवं कम सुनने वाले (एचआई)

बहरे व्यक्ति वे हैं जिनकी जीवन के सामान्य कामकाज में भी सुनने की शक्ति काम न करती हो, जिन्हें दोनों कानों से बिल्कुल सुनाई न देता हो। वे परिवर्धित वाणी को भी किसी भी प्रकार से सुन या समझ न सकते हों। सुनने की कमी से तात्पर्य है सही कान से बातचीत की आवृत्ति सीमा 60 डेसिबल्स से या इससे भी अधिक कम हो।

III. ओरथोपेडिकली विकलांग (ओसी)

लोकोमोटर विकलांगता से तात्पर्य है हड्डियों, जोड़ों या मांसपेशियों की अयोग्यता जिससे अंगों की गतिविधियों में रूकावट आए या किसी प्रकार का मस्तिष्क पक्षाघात हो।

मस्तिष्क पक्षाघात से तात्पर्य है - प्रसवपूर्व, प्रसवकालीन या शिशु विकास के आरंभिक समय में दिमाग में किसी चोट के कारण असामान्य मोटर कंट्रोल पोस्चर के कारण व्यक्ति की अप्रगतिशील स्थितियों का समूह।

ओरथोपेडिकली विकलांग व्यक्तियों के सभी मामले लोकोमोटर अयोग्यता या मस्तिष्क विकलांगता की श्रेणी के अंतर्गत रखा जाएगा ।

विकलांग व्यक्तियों के लिए सहायक का प्रयोग करने हेतु दिशानिर्देश

- दृष्टिहीन उम्मीदवार तथा ऐसे उम्मीदवार जिनकी लिखने की गति किसी भी कारण से स्थायी रूप से प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो गई है वे ऑन-लाईन परीक्षा के दौरान अपनी लागत से अपने लिए एक सहायक का प्रयोग कर सकते हैं उन सभी मामलों में, जहां सहायक का प्रयोग किया जाता है, निम्न नियम लागू होंगे:
 - उम्मीदवारों को अपने लिए अपनी लागत पर ही सहायक की व्यवस्था करनी होगी।
 - सहायक पद हेतु निर्धारित स्ट्रीम से अलग स्ट्रीम का होना चाहिए/ जनरलिस्ट पद के लिए सहायक किसी भी शैक्षणिक स्ट्रीम से हो सकता है।
 - उम्मीदवार एवं सहायक दोनों को इस बात की पुष्टि की यथोचित रूप से वचनबद्धता देनी होगी कि उपरोक्त वर्णित सहायक हेतु निर्धारित पात्रता मापदंडों को सहायक पूरा करता है। लेकिन यदि बाद में किसी भी मामले में यह परिलक्षित होता है कि वह निर्धारित पात्रता मापदंडों को पूरा नहीं करता या किसी महत्वपूर्ण जानकारी को छिपाया गया है तो आवेदक की उम्मीदवारी को रद्द कर दिया जाएगा।
 - जो उम्मीदवार सहायक का प्रयोग करेंगे वे 20 मिनट के अतिरिक्त समय या परीक्षा के प्रत्येक घंटे हेतु अन्यथा निर्देशित अतिरिक्त समय के पात्र होंगे।
 - उम्मीदवार द्वारा लाया गया सहायक परीक्षा हेतु उम्मीदवार नहीं होगा। यदि प्रक्रिया की किसी भी स्थिति में उपरोक्त का उल्लंघन पाया गया तो उम्मीदवार और सहायक दोनों का सीडब्ल्यूई हेतु उम्मीदवारिता रद्द कर दी जाएगी। परीक्षा में सहायक की सेवाओं का उपयोग चाहने वाले उम्मीदवारों तथा पात्र उम्मीदवारों को ऑन-लाईन आवेदन फार्म में इसे स्पष्ट रूप से इंगित करना होगा। इसके बाद किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।
 - अतिरिक्त समय हेतु केवल पंजीकृत उम्मीदवारों को ही इस प्रकार की छूट तभी प्रदान की जाएगी यदि उम्मीदवारों को दिया जाने वाला अतिरिक्त समय सिस्टम में निहित होगा। यदि उसने अपने आपको पंजीकृत नहीं किया है तो परीक्षा आयोजित एजेंसी द्वारा ऐसे समय की अनुमति देना संभव नहीं होगा।
 - अतिरिक्त समय हेतु पंजीकृत नहीं किए गए उम्मीदवारों को ऐसी छूट की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(ii) लोकोमोटर विकलांगता तथा मस्तिष्क विकलांगता वाले उम्मीदवारों हेतु दिशानिर्देश: लोकोमोटर विकलांगता तथा मस्तिष्क विकलांगता वाले उम्मीदवारों को 20 मिनट या अन्यथा निर्देशित समय की अतिरिक्त छूट दी जाएगी यदि उसकी लिखावट कार्यनिष्पादन करने के लिए न्यूनतम 40% है।

(iii) दृष्टिहीन उम्मीदवारों हेतु दिशानिर्देश जो दृष्टिहीन उम्मीदवार (जिनकी विकलांगता न्यूनतम 40% है वे विषय को देखने हेतु फॉट को बड़ा कर सकते हैं तथा ऐसे सभी उम्मीदवार अतिरिक्त 20 मिनट या परीक्षा के प्रत्येक छोटे हेतु अन्यथा निर्देशित अतिरिक्त समय के पात्र होंगे। ये सभी दिशानिर्देश समय-समय पर, यदि कोई हो, जीओआई दिशानिर्देश/स्पष्टिकरण के नियमानुसार परिवर्तन के अधीन हैं।

8. चयन प्रक्रिया

चरण-I: प्राथमिक परीक्षा

100 अंकों वाली वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं की प्राथमिक परीक्षा ऑन-लाइन आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा 3 खंडों में 1 घंटे के समय वाली होगी:

क्र.सं.	परीक्षा का नाम (क्रमवार में नहीं)	परीक्षा का प्रकार	अधिकतम अंक	अवधि	रूपांतरण
1	अंग्रेजी भाषा	वस्तुनिष्ठ	30	1 घंटा	अंग्रेजी
2	तर्क क्षमता	वस्तुनिष्ठ	35		अंग्रेजी / हिंदी
3	मात्रात्मक योग्यता	वस्तुनिष्ठ	35		अंग्रेजी / हिंदी
	कुल		100		

उम्मीदवारों को प्रत्येक परीक्षा में कंपनी द्वारा निर्धारित पास अंकों को अवश्य प्राप्त करना होगा। प्रत्येक श्रेणी में कंपनी द्वारा निर्णीत (रिक्तियों की संख्या का 20 गुणा, उपलब्धता के आधार पर) पर्याप्त उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा हेतु चुना जाएगा।

चरण - II: मुख्य परीक्षा

मुख्य परीक्षा में 200 अंकों वाली वस्तुनिष्ठ तथा 30 अंकों की वर्णनात्मक परीक्षा शामिल होगी। वस्तुनिष्ठ एवं वर्णनात्मक दोनों परीक्षाएं ऑन-लाइन होंगी। उम्मीदवारों को वर्णनात्मक परीक्षा कंप्यूटर पर टाईप करने देनी होगी। वस्तुनिष्ठ परीक्षा को पूरा होने के तुरंत बाद वर्णनात्मक परीक्षा ली जाएगी।

(i) **वस्तुनिष्ठ परीक्षा:** 4 खंड (सामान्य) तथा 5 खंड (विशेषज्ञ) वाली 2 घंटों की वस्तुनिष्ठ परीक्षा 200 अंकों की होगी।

सामान्य के लिए -

क्र.सं.	परीक्षा का नाम (क्रमवार में नहीं)	परीक्षा का प्रकार	अधिकतम अंक	अवधि	रूपांतरण
1.	तर्क क्षमता की परीक्षा	वस्तुनिष्ठ	50	120 मिनट	अंग्रेजी / हिंदी
2.	अंग्रेजी भाषा की परीक्षा	वस्तुनिष्ठ	50		अंग्रेजी
3.	सामान्य ज्ञान की परीक्षा	वस्तुनिष्ठ	50		अंग्रेजी / हिंदी
4.	मात्रात्मक योग्यता की परीक्षा	वस्तुनिष्ठ	50		अंग्रेजी / हिंदी
	कुल (सकल)		200		

विशेषज्ञों के लिए -

क्र.सं.	परीक्षा का नाम (क्रमवार में नहीं)	परीक्षा का प्रकार	अधिकतम अंक	अवधि	रूपांतरण
1.	तर्क क्षमता की परीक्षा	वस्तुनिष्ठ	40	120 मिनट	अंग्रेजी / हिंदी
2.	अंग्रेजी भाषा की परीक्षा	वस्तुनिष्ठ	40		अंग्रेजी
3.	सामान्य ज्ञान की परीक्षा	वस्तुनिष्ठ	40		अंग्रेजी / हिंदी
4.	मात्रात्मक योग्यता की परीक्षा	वस्तुनिष्ठ	40		अंग्रेजी / हिंदी
5.	व्यावसायिक ज्ञान की परीक्षा	वस्तुनिष्ठ	40		अंग्रेजी / हिंदी
	कुल (सकल)		200		

(ii) **वर्णनात्मक परीक्षा:** अंग्रेजी भाषा (पत्र लेखन-10 अंक तथा निबंध लेखन-20 अंक) की परीक्षा 30 अंकों वाली 30 मिनट की वर्णनात्मक होगी। वर्णनात्मक परीक्षा अंग्रेजी में होगी तथा ऑन-लाइन ही आयोजित की जाएगी।

प्रत्येक उम्मीदवार को वर्णनात्मक परीक्षा मूल्यांकन/ साक्षात्कार में शार्टलिस्ट होने हेतु वस्तुनिष्ठ परीक्षा के प्रत्येक खंड में अलग-अलग से न्यूनतम

अंक प्राप्त करने अनिवार्य है। जो उम्मीदवार वस्तुनिष्ठ परीक्षा उत्तीर्ण कर लेते हैं तथा अधिक अंक प्राप्त करते हैं उनकी वर्णनात्मक उत्तर-पुस्तिका का ही मूल्यांकन किया जाएगा। उपलब्ध रिक्तियों की संख्या के आधार पर ही वर्णनात्मक परीक्षा मूल्यांकन हेतु कटऑफ का निर्णय लिया जाएगा।

प्रत्येक उम्मीदवार को साक्षात्कार में शार्टलिस्ट होने हेतु वर्णनात्मक परीक्षा तथा वस्तुनिष्ठ परीक्षा (मुख्य परीक्षा) में (रिक्तियों की संख्या के अनुसार कंपनी द्वारा निर्णीत) न्यूनतम कुल अंक प्राप्त करने होंगे।

उम्मीदवार को वर्णनात्मक परीक्षा को पास करना जरूरी है लेकिन वर्णनात्मक परीक्षा के अंकों की गणना अंतिम चयन हेतु साक्षात्कार में शार्टलिस्ट करने के लिए नहीं की जाएगी।

गलत उत्तरों के लिए दंड (प्राथमिक एवं मुख्य - दोनों परीक्षाओं पर लागू)

वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं में गलत उत्तरों के लिए दंड दिया जाएगा। उम्मीदवार द्वारा जिस प्रश्न का उत्तर गलत दिया गया है, सही अंक देने के लिए दंड के रूप में उस प्रश्न के जितने अंक हैं उसमें से एक चौथाई अंक काट लिया जाएगा। यदि प्रश्न खाली छोड़ दिया गया है तथा उसका उत्तर नहीं दिया गया तो न उस प्रश्न के लिए कोई दंड नहीं दिया जाएगा। परीक्षा के ढांचे में फेर-बदल का पूरा अधिकार कंपनी के पास सुरक्षित है जिसके बारे में वेबसाइट पर सूचित कर दिया जाएगा।

चरण - III: साक्षात्कार

संबद्ध संवर्ग/श्रेणी की रिक्तियों की संख्या के 3 गुणा तक जिन उम्मीदवारों को चरण-II के अंत में शार्टलिस्ट किया गया है, उन्हें कंपनी द्वारा आयोजित साक्षात्कार हेतु बुलाया जाएगा। साक्षात्कार चुने गए केन्द्रों में ही आयोजित किया जाएगा। ऑन-लाइन परीक्षा और साक्षात्कार का अनुपात 80:20 क्रमशः रहेगा। केन्द्र, स्थान का पता, साक्षात्कार की तिथि एवं समय की सूचना शार्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को कॉल लेटर में दे दी जाएगी। उम्मीदवार अपना साक्षात्कार कॉल लेटर कंपनी की वेबसाइट से डाउनलोड कर लें। कृपया नोट करें कि साक्षात्कार की तिथि, केन्द्र में परिवर्तन के संबंध में किसी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। लेकिन कंपनी के पास सुरक्षित अधिकार है कि साक्षात्कार की तिथि/स्थान/समय/केन्द्र में परिवर्तन कर सकती है या किन्हीं भी अपरिहार्य स्थितियों में किसी विशेष तिथि/सत्र/केन्द्र/उम्मीदवारों के समूह के संबंध में अनुपूरक प्रक्रिया को रोकने का विवेकाधिकार प्राप्त है।

अंतिम चयन

मुख्य परीक्षा (वस्तुनिष्ठ परीक्षा) तथा साक्षात्कार के समेकित अंकों के आधार पर अंतिम चयन किया जाएगा। अंतिम मेरिट लिस्ट उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त किए गए समेकित अंकों के घटते क्रम में तैयार की जाएगी। जो उम्मीदवार मेरिट लिस्ट में रिक्तियों की संख्या के भीतर आएंगे उनकी नियुक्ति पर विचार किया जाएगा। प्रबंधन के निर्णयानुसार एक से अधिक बैच में उम्मीदवारों की नियुक्ति की जा सकती है। चुने गए उम्मीदवारों की वरिष्ठता मेरिट/चुनी गई सूची के अनुसार होगी। रिक्तियों की संख्या के अधिकतम 50% उम्मीदवारों की वेटिंग लिस्ट भी तैयार की जा सकती है तथा अंतिम मेरिट लिस्ट में चुने गए उम्मीदवारों द्वारा नियुक्ति के प्रस्ताव को स्वीकार न किए जाने की स्थिति में प्रयुक्त भी की जा सकती है।

उम्मीदवारों को निर्देश दिया जाता है कि आवेदन करने से पूर्व ये सुनिश्चित कर लें कि वे आयु व योग्यता की शर्तों को पूरा करते हैं (योग्यता का अंतिम परिणाम 31.07.2017 तक या पूर्व प्रकाशित हो जाना चाहिए) यदि कोई उम्मीदवार पात्र नहीं पाया जाता तो उसकी उम्मीदवारी को भर्ती की किसी भी स्थिति में रद्द कर दिया जाएगा। ऑन-लाइन परीक्षा व साक्षात्कार में प्रस्तुत होने का यह स्वतः अर्थ नहीं है कि कथित पद हेतु चयन कर लिया गया है।

कृपया नोट करें कि निम्न दस्तावेजों के बिना उम्मीदवारों को ऑन-लाइन परीक्षा में बैठने में अनुमति नहीं दी जाएगी:

- (1) परीक्षा की तिथि एवं सत्र हेतु वैध कॉल लेटर
- (2) मूल रूप में निर्दिष्ट फोटो पहचान पत्र जिसके ऊपर वही सूचना व नाम हो जैसे कि कॉल लेटर/आवेदन फार्म के ऊपर तथा
- (3) उपरोक्त फोटो-पहचान पत्र की छाया प्रति (जैसा कि नीचे वर्णित किया गया है*)

परीक्षा भवन तथा साक्षात्कार के समय, उम्मीदवार की वर्तमान वैध फोटो पहचान (वही नाम होना चाहिए जोकि कॉल लेटर पर हो) जैसे कि पैनकार्ड/पासपोर्ट/आईडिंग लाइसेंस/वोटरकार्ड/फोटोग्राफ सहित बैंक की पास बुक) राजपत्रित अधिकारी के द्वारा उसके कार्यालयी पत्रशीर्ष पर जारी फोटो पहचान प्रमाण पत्र के साथ फोटोग्राफ/जनता के प्रतिनिधि द्वारा कार्यालयी पत्रशीर्ष पर जारी फोटो पहचान प्रमाण के साथ फोटोग्राफ/ मान्यता प्राप्त विद्यालय/विश्वविद्यालय द्वारा जारी वैध नया पहचान पत्र/आधार कार्ड/ ई कार्ड के साथ फोटोग्राफ/कर्मचारी पहचान पत्र/बार कौंसिल पहचान पत्र के साथ फोटोग्राफ/जांच हेतु निरीक्षक को प्रस्तुत किया जाए। उम्मीदवार की पहचान की जांच उसके कॉल लेटर, उसकी उपस्थिति सूची तथा प्रस्तुत किए गए आवश्यक दस्तावेजों में दी गई सूचना के संबंध में की जाएगी। यदि उम्मीदवार की पहचान के संबंध में कोई संदेह पाया जाता है तो उम्मीदवार को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

इस संबंध में राशन कार्ड को वैध पहचान पत्र के रूप में नहीं माना जाएगा।

नोट: उम्मीदवारों को परीक्षा/साक्षात्कार क्रमशः में उपस्थित होते समय परीक्षा कॉल लेटर सहित साक्षात्कार कॉल लेटर व फोटो पहचान प्रमाण की फोटो कॉपी व फोटों पहचान प्रमाण की मूल प्रति प्रस्तुत करनी होगी, जिसके बिना उन्हें परीक्षा/साक्षात्कार में जाने की अनुमति नहीं होगी। उम्मीदवारों को नोट करना चाहिए कि कॉल लेटर में दिखाया गया नाम (रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के दौरा दिखाया गया) फोटो पहचान प्रमाण पर दिखाए गए नाम से एकदम मिलना चाहिए। महिला उम्मीदवारों को विशेष नोट लिखा जाना चाहिए जिन्होंने विवाह पश्चात् प्रथम/अंतिम/मध्य नाम में परिवर्तन किया है। यदि कॉल लेटर व फोटो पहचान प्रमाण में दर्शाए गए नाम में कोई तालमेल नहीं है तो उम्मीदवार को परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि उम्मीदवारों ने अपने नाम में परिवर्तन किया है, केवल तभी अनुमति दी जाएगी यदि वह मूल राजपत्रित अधिसूचना/ अपना मूल विवाह प्रमाण पत्र/ हलफनामा की मूल प्रति प्रस्तुत करता है।

यदि उम्मीदवार देरी से पहुंचते हैं अर्थात् परीक्षा के लिए कॉल लेटर पर विनिर्दिष्ट किए गए उपस्थिति समय के पश्चात् तो उन्हें परीक्षा देने की अनुमति नहीं दी जाएगी। कॉल लेटर पर वर्णित किया गया उपस्थिति समय परीक्षा(ओं) के आरंभ होने के समय से पहले का है।

यद्यपि चरण-I के लिए परीक्षा की अवधि 1 घंटा है तथा चरण-II के लिए 2½ घंटा है, उम्मीदवारों को विभिन्न औपचारिकताओं जैसे कि सत्यापन व विभिन्न अपेक्षित डेटा/दस्तावेजों को एकत्रित करने, लॉगिंग-इन, दिशानिर्देश इत्यादि देने के लिए, काफी लंबे समय के लिए उस स्थान पर उपस्थित रहना होगा।

बायोमेट्रिक डेटा - साथ ले जाना व सत्यापन करना

उन उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा (चरण-II) वाले दिन उम्मीदवार के फोटोग्राफ व बायोमेट्रिक डेटा (अंगूठे का निशान व अन्यथा) अपने साथ ले जाने का निर्णय लिया गया है जो प्राथमिक परीक्षा (चरण-I) उत्तीर्ण करने के पश्चात्, मुख्य परीक्षा (चरण-II) के लिए उपस्थित होते हैं। बायोमेट्रिक डेटा व फोटोग्राफ को दो बारी जांचा जाएगा - उत्तीर्ण हुए उम्मीदवारों के साक्षात्कार के दिन पर तथा अंतिम रूप से चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति के समय पर। बायोमेट्रिक डेटा सत्यापन प्राधिकारी का उसकी स्थिति (मेल और बेमेल) के संबंध में निर्णय अंतिम होगा तथा उम्मीदवारों पर बाध्य होगा।

उम्मीदवारों से सुचारू प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखने का अनुरोध किया जाता है:

- यदि अंगुलियों पर (स्टैंप/मेहंदी/रंग...इत्यादि), लगा हुआ है तो अच्छी तरह से उन्हें धोकर साफ करें ताकि परीक्षा / साक्षात्कार / कार्यभार संभालने से पहले पूरी तरह से साफ हो जाए।
- यदि अंगुलियां गंदी हैं या धूल मिट्टी लगी है तो उन्हें धोएं तथा उन्हें अंगुलियों का प्रिंट (बायोमेट्रिक) लेने से पहले सुखाएं।
- यह सुनिश्चित करें कि दोनों हाथों की अंगुलियां सूखी हैं। यदि अंगुलियां गीली हैं तो प्रत्येक अंगुली को पोंछकर सुखाएं।
- यदि पहली अंगुली (बांये अंगूठे) जिसका निशान लेना है, चोटिल/क्षतिग्रस्त हैं, तो तुरंत परीक्षा केन्द्र पर संबंधित प्राधिकारी को सूचित करें। ऐसे मामलों में अन्य अंगुलियों इत्यादि का निशान भी लिया जा सकता है।

साक्षात्कार के समय पर प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची (लागू किए गए अनुसार):

उम्मीदवारों की पात्रता व पहचान के समर्थन में निम्नलिखित दस्तावेजों की मूल प्रति व स्वयं प्रमाणित फोटो कॉपी, साक्षात्कार के समय पर, निरापवाद रूप से प्रस्तुत की जाएगी, न करने पर साक्षात्कार के लिए उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उम्मीदवार द्वारा साक्षात्कार के समय पर अपेक्षित दस्तावेजों के गैर-प्रस्तुतिकरण पर, भर्ती प्रक्रिया में भावी भागीदारी से उसकी उम्मीदवारी पर रोक लगेगी।

- i) वैध साक्षात्कार कॉल लेटर का प्रिंट-आउट।
- ii) ऑन-लाइन परीक्षा के लिए रजिस्टर किए गए ऑन-लाइन आवेदन पत्र का कंप्यूटर से निकाला गया वैध प्रिंट-आउट।
- iii) जन्म तिथि का प्रमाण (सक्षम नगर निगम प्राधिकारियों द्वारा जारी किया गया जन्म प्रमाण-पत्र या जन्म तिथि सहित एसएसएलसी/दसवीं-कक्षा का जन्म प्रमाण पत्र)
- iv) विज्ञापन के पहचान सत्यापन खंड में दर्शाए गए अनुसार फोटो पहचान प्रमाण।
- v) कक्षा X, XII, स्नातकों व स्नातकोत्तर (यदि कोई है) या समकक्ष योग्यता(ओं) इत्यादि की अंक तालिका व प्रमाण पत्र / दिनांक 31.07.2017 को या पहले घोषित हुए परिणाम की, मंडल/विश्वविद्यालय से उपयुक्त दस्तावेज प्रस्तुत किए जाएंगे। जहां पर सीजीपीए / ओजीपीए दिए जाते हैं, उम्मीदवार को, नियमों के अनुसार उम्मीदवार द्वारा प्राप्त किए गए अंकों के प्रतिशत व ग्रेड को प्रतिशत में परिवर्तन से संबंधित नियमों को बताने के साथ-साथ उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र को प्रस्तुत करना होगा।
- vi) अनु.जाति/अनु.जनजाति/ओबीसी श्रेणी के उम्मीदवारों की स्थिति में भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट किए गए विनिर्दिष्ट फॉर्मेट में, सक्षम

प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए जाति वैधता प्रमाण पत्र सहित जाति प्रमाण पत्र।

यदि उम्मीदवार ओबीसी श्रेणी से संबंध रखते हैं तो प्रमाण पत्र में विशेषतः यह खंड शामिल होना चाहिए कि उम्मीदवार भारत सरकार के अंतर्गत नागरिक पदों व सेवाओं में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण के लाभों से अलावा क्रीमी लेयर खंड से संबंध नहीं रखता है। नॉन-क्रीमी लेयर खंड सहित ओबीसी जाति प्रमाण पत्र, इस विज्ञापन की मद सं.13(ख) में दिए गए अनुसार ऑन-लाईन रजिस्ट्रेशन की तिथि को वैध होना चाहिए। प्रमाण पत्र में वर्णित किया गया जाति नाम, केन्द्रीय सरकारी सूची/अधिसूचना से पत्र द्वारा पत्र का मिलान होना चाहिए।

यदि उम्मीदवार ओबीसी श्रेणी से संबंध रखता है किन्तु क्रीमी लेयर के अंतर्गत आता है और/या यदि उनकी जाति को केन्द्रीय सूची में स्थान नहीं मिलता है तो ओबीसी आरक्षण के हकदार नहीं होंगे। उन्हें ऑन लाईन आवेदन पत्र में सामान्य के रूप में अपनी श्रेणी को दर्शाना होगा।

- vii) अयोग्यता श्रेणी के व्यक्तियों की स्थिति में जिला चिकित्सकीय मंडल द्वारा जारी किए गए विनिर्दिष्ट फारमेट में अयोग्यता प्रमाण पत्र। यदि उम्मीदवार ऑन-लाईन परीक्षाओं के समय पर सहायक की सेवाओं का प्रयोग करता है - हमारी वेबसाइट में उपलब्ध किए गए अनुसार विनिर्दिष्ट फारमेट में सहायक का पूर्ण ब्यौरा विधिवत् रूप से भरा जाए।
- viii) पूर्व-सैनिकों को साक्षात्कार के समय पर, सेवा की प्रति या पेंशन भुगतान आदेश सहित डिस्चार्ज बुक तथा अंतिम/वर्तमान में प्राप्त रैंक का दस्तावेजी प्रूफ (कार्यकारी के साथ-साथ विशेष्य) प्रस्तुत करनी होगी। जो अभी-भी रक्षा सेवाओं में हैं उन्हें सक्षम प्राधिकारी से प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए कि वह रक्षा सेवाओं से दिनांक 31.03.2018 को या इससे पहले सेवा मुक्त किया गया है।
- ix) सरकारी /अर्ध सरकारी कार्यालयों / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों सहित) में कार्यरत उम्मीदवारों को साक्षात्कार के समय पर अपने उम्मीदवारों से "अनापत्ति प्रमाण पत्र" प्रस्तुत करना होगा। जिसकी अनुपस्थिति में उम्मीदवारी नहीं मानी जाएगी तथा यात्रा खर्च, यदि अन्यथा कोई स्वीकार्य है तो भुगतान नहीं किया जाएगा।
- x) जिन व्यक्तियों को उक्त मद 6 (6) के अंतर्गत आयु में छूट प्राप्त है उसे साक्षात्कार के समय पर, उस जिला क्षेत्राधिकार से जहां पर सामान्यतः वह रहता है या इस संबंध में जम्मू एंड कश्मीर सरकार द्वारा प्रतिनियुक्त किसी अन्य प्राधिकारी से इस विषय के लिए कि उम्मीदवार दिनांक 01.01.80 से 31.12.89 तक की अवधि के दौरान जम्मू एंड कश्मीर राज्य में सामान्यतः रहता है, अधिवास प्रमाण पत्र अवश्य ही प्रस्तुत करना होगा।
- xi) अनुभव प्रमाण पत्र, यदि कोई है तो जो व्यक्ति राष्ट्रीयता मापदंड की श्रेणियों (ख), (ग), (घ) व (ड.) में आते हैं उन्हें भारत सरकार द्वारा जारी किया गया पात्रता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- xiii) पात्रता के समर्थन में कोई अन्य संबंधित दस्तावेज।

नोट: उम्मीदवार को साक्षात्कार में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी यदि वह उक्त वर्णित किए गए संबंधित पात्रता दस्तावेजों को प्रस्तुत नहीं कर सकता है।

9. आवेदन फीस (गैर-प्रतिदेय): दिनांक 18.08.2017 से 15.09.2017 तक ऑन-लाईन देय (दोनों तिथियां शामिल हैं)

अनु.जा./ अनु.ज.जाति / पीडब्ल्यूडी	रु. 100/- (केवल सूचना प्रभार)
अनु.जा./ अनु.ज.जाति / पीडब्ल्यूडी के अलावा सभी उम्मीदवार	रु. 600/- (सूचना प्रभार सहित आवेदन फीस)

*लेनदेन खर्च, यदि लागू है तो उम्मीदवार द्वारा वहन किए जाएं।

फीस/ सूचना खर्चों का एक बार भुगतान करने के बाद, उनकी किसी भी खातों में वापसी नहीं की जाएगी और न ही किन्हीं अन्य परीक्षा या चयन के लिए आरक्षित रखा जाएगा।

10. परीक्षा केन्द्र :

- संबंधित कॉल लेटर में दिए गए स्थानों पर ऑन-लाईन परीक्षा संचालित की जाएगी।
- परीक्षा के लिए केन्द्र /स्थान /दिनांक /सत्र में किसी भी प्रकार के परिवर्तन पर विचार नहीं किया जाएगा।
- तदापि कंपनी को प्रतिक्रियाओं, प्रशासनिक संभावनाओं, इत्यादि के आधार पर, स्वेच्छा से किसी भी परीक्षा केन्द्रों को रद्द करने और/या अन्य केन्द्रों को शामिल करने का अधिकार है।
- कंपनी को उम्मीदवार को उसके द्वारा चयनित किए गए के अलावा किसी भी अन्य परीक्षा केन्द्र को आर्बिट्रित करने का भी अधिकार है।
- उम्मीदवार को परीक्षा केन्द्र(द्रों) पर परीक्षा(ओं) के लिए अपने स्वयं के जोखिम व खर्च पर उपस्थित होना होगा तथा कंपनी किसी भी प्रकार की चोट या क्षति इत्यादि के लिए उत्तरदायी नहीं होगी।
- प्रारंभिक परीक्षा (चरण-I) के लिए केन्द्रों की अंतिम सूची यहां नीचे दी गई है:-
- चरण-II के लिए परीक्षा केन्द्र सीमित होंगे एवम चयनित उम्मीदवारों को ही अवगत कराया जाएगा ।

परीक्षाओं की तिथियों व केन्द्रों को कंपनी की इच्छा पर बदला जा सकता है। किसी भी केन्द्र पर परीक्षाओं को रद्द करने की स्थिति में, कंपनी संबंधित उम्मीदवारों को स्वेच्छा से वैकल्पिक केन्द्र आबंटित कर सकती है। चरण-I व चरण-II परीक्षाओं के लिए अलग से कॉल लेटर जारी किया जाएगा तथा कंपनी की वेबसाइट www.orientalinsurance.org.in पर प्रदत्त लिंक से उम्मीदवारों द्वारा उपयुक्त समय पर डाउन लोड किया जाना चाहिए। उम्मीदवारों को बिना कॉल लेटर के परीक्षा में उपस्थित नहीं होने दिया जाएगा।

नोट: यदि पर्याप्त संख्या में उम्मीदवार "ऑन-लाइन" परीक्षा के लिए विशेष केन्द्र का चयन नहीं करते हैं तो कंपनी को उन उम्मीदवारों के लिए कोई अन्य नजदीकी केन्द्र आबंटित करने का अधिकार है या केन्द्र के लिए उपलब्ध क्षमता से ज्यादा संख्या में उम्मीदवार होते हैं तो कंपनी उम्मीदवारों को कोई अन्य केन्द्र आबंटित करने का अधिकार रखती है।

चरण-I हेतु परीक्षा केन्द्र (अस्थायी)

परीक्षा केन्द्र

क्र.सं.	राज्य	केन्द्र	क्र.सं.	राज्य	केन्द्र
1	आंध्रप्रदेश	विजयवाड़ा	17	महाराष्ट्र	मुम्बई
					नवी मुम्बई
					थाणे
					गेटर मुम्बई
		विशाखापट्टनम			नागपुर
		ऑंगोल			पुणे
2	असम	गुवाहाटी			औरंगाबाद
		डिब्रूगढ़			नासिक
		सिलचर	18	मणिपुर	इंफाल
		जोरहाट	19	मेघालय	शिलांग
3	अरुणाचल प्रदेश	ईटानगर			
4	बिहार	पटना	20	मिज़ोरम	एजवाल
		गया	21	नागालैंड	कोहिमा
		भागलपुर			
5	चंडीगढ़	मोहाली	22	उड़ीसा	भुवनेश्वर
6	छत्तीसगढ़	रायपुर			कटक
		बिलासपुर			राउरकेला
7	दिल्ली - एनसीआर	दिल्ली - एनसीआर			बहरामपुर
8	गोवा	पणजी / मापुसा	23	पाण्डीचेरी	पाण्डीचेरी
9	गुजरात	अहमदाबाद/ गांधीनगर	24	पंजाब	अमृतसर
		वडोदरा			लुधियाना
		सूरत			भटिण्डा
		राजकोट	25	राजस्थान	जयपुर
10	हरियाणा	हिसार			जोधपुर
		फरीदाबाद			बीकानेर
		गुडगांव	26	सिक्किम	गंगटोक / बारडन्ग
11	हिमाचल प्रदेश	शिमला	27	तमिलनाडू	चेन्नई
		धर्मशाला			कोयंबटूर
		मंडी			मदुरै
		पालमपुर	28	तेलंगाना	हैदराबाद / रंगारेड्डी
12	जम्मू एंड कश्मीर				वारंगल

		जम्मू	29	त्रिपुरा	अगरतला
			30	उत्तर प्रदेश	लखनऊ
13	झारखंड	रांची			इलाहाबाद
		जमशेदपुर			कानपुर
14	कर्नाटक	बैंगलूरु			नोएडा/ग्रेटर नोएडा
		हबली	31	उत्तराखंड	देहरादून
		मंगलौर			हरिद्वार / रुड़की
		मैसूर			हल्दवानी / नैनीताल
		गुलबर्गा	32	वेस्ट बंगाल	कोलकाता / ग्रेटर कोलकाता
15	केरल	एरनाकुलम/ कोच्चि			सिलिगुड़ी
		तिरुवनंतपुरम			आसनसोल
16	मध्य प्रदेश	भोपाल			
		इंदौर			
		ग्वालियर			
		जबलपुर			

ऑन-लाईन परीक्षा की तिथियां: चरण - I ऑन-लाईन परीक्षा 22.10.2017 (टेंटेटिव) में होगी।

10 (ख) पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण (गैर-आवासीय): अनु.जाति/अनु.जनजाति/ओबीसी (नॉन क्रीमा) उम्मीदवार जो पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण की सुविधा लेना चाहते हैं वे अपना नाम तथा अन्य विवरण उनकी सुविधानुसार दि ओरिएण्टल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के क्षेत्रीय कार्यालयों में पंजीकृत करेंगे। क्षेत्रीय कार्यालय पंजीकृत उम्मीदवारों को प्रशिक्षण स्थान तथा तिथि के बारे में सूचित करेंगे। ऐसे उम्मीदवार नियुक्त की गई तिथियों पर तथा अन्य सूचित किए गए स्थान पर अपने खर्च पर प्रशिक्षण में उपस्थित होंगे। उम्मीदवार प्रशिक्षण आवेदन पत्र के फार्मेट तथा हमारे क्षेत्रीय कार्यालयों के ब्यौरे हेतु हमारी वेबसाइट www.orientalinsurance.org.in के भर्ती खंड का संदर्भ लें।

11. कैसे आवेदन करें:

निम्न हेतु विस्तृत दिशानिर्देश/प्रक्रिया:

1. आवेदन पत्र रजिस्ट्रेशन
2. फीस का भुगतान
3. फोटोग्राफ व हस्ताक्षर स्कैन व अपलोड

रजिस्ट्रेशन से पहले महत्वपूर्ण मदें नोट की जाएं, ऑन-लाईन आवेदन से पूर्व उम्मीदवार को चाहिए कि-

- i. अपने फोटोग्राफ व हस्ताक्षर को स्कैन करके सुनिश्चित करे कि फोटोग्राफ व हस्ताक्षर स्कैन दोनों अप-लोड हेतु दिशानिर्देशों के अंतर्गत दिए गए आवश्यक विनिर्देशों का पालन करें।
- ii. क्या व्यक्तिगत ईमेल आईडी व मोबाईल नंबर वैध हैं, जिसे इस भर्ती प्रक्रिया के पूर्ण होने तक सक्रिय रखा जाएगा। सभी कार्यालयी संप्रेषण उम्मीदवार के रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर भेजे जाएंगे। यदि उम्मीदवार की कोई भी वैध व्यक्तिगत ईमेल आईडी नहीं है तो उसे अपनी नई ईमेल आईडी बनानी व मोबाईल नंबर लेना होगा तथा उस ईमेल खाते व मोबाईल नंबर को बनाए रखना होगा।

1) आवेदन प्रक्रिया

उम्मीदवार को कंपनी की वेबसाइट www.orientalinsurance.org.in की भर्ती खंड में जाना होगा तथा 'केरियर' खंड के अंतर्गत 'ऑन-लाईन आवेदन' विकल्प पर क्लिक करना होगा जिससे नई स्क्रीन खुलेगी।

1. आवेदन पत्र रजिस्टर्ड करने के लिए 'नए रजिस्ट्रेशन हेतु यहां पर क्लिक करें' बटन का चयन करें तथा नाम संपर्क ब्यौरे तथा ईमेल आईडी प्रविष्ट करें। सिस्टम द्वारा अस्थायी रजिस्ट्रेशन नंबर तथा पासवर्ड बनाया जाएगा। उम्मीदवार अस्थायी रजिस्ट्रेशन नंबर व पासवर्ड को नोट करेंगा। अस्थायी रजिस्ट्रेशन नंबर व पासवर्ड दर्शाने वाले ईमेल व एसएमएस भी भेजा जाएगा।
2. यदि उम्मीदवार एक बार में आवेदन फार्म को पूरा नहीं कर पाता है, तो वह 'सेव एंड नेक्स्ट' का चयन करके पहले से प्रविष्ट करे गए आंकड़ों को सुरक्षित कर सकता है। ऑन-लाईन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने से पहले, उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि आवेदन फार्म में ब्यौरों को सत्यापित करने से पहले 'सेव एंड नेक्स्ट' सुविधा का प्रयोग करें तथा यदि अपेक्षित है तो संशोधित करें। दृष्टि से अयोग्य उम्मीदवारों को

सावधानी पूर्वक आवेदन फार्म भरना चाहिए तथा सत्यापित करें/सत्यापित ब्यौरों को प्राप्त करवाकर सुनिश्चित करें कि अंतिम प्रस्तुतिकरण से पूर्व वह सही है।

- उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि सावधानी पूर्वक भरें तथा स्वयं ऑन-लाईन आवेदन पत्र में भरे गए ब्यौरों को सत्यापित करें, चूंकि 'फाईनल सबमिट बटन' पर क्लिक करने के पश्चात कोई भी परिवर्तन संभव/कार्रवाई नहीं की जाएगी
- उम्मीदवार या उसके पिता/पति इत्यादि का नाम आवेदन पत्र में सही से भरा जाना चाहिए जैसा कि यह प्रमाण पत्रों /मार्कशीट/पहचान पत्र में दिखाया गया है। किसी भी बदलाव/परिवर्तन पाए जाने पर उम्मीदवार अयोग्य माना जाएगा।
- 'अपने ब्यौरों को सत्यापित करें' तथा 'सेव एंड नेक्स्ट' बटन क्लिक करके अपने आवेदन पत्र को सुरक्षित करें तथा अपने ब्यौरों को सत्यापित करें।
- उम्मीदवार स्कैनिंग व फोटोग्राफ को अपलोड करने व मद 'ग' के अंतर्गत दिए गए हस्ताक्षर हेतु दिशानिर्देशों में दी गई विशिष्टताओं के अनुसार फोटो व हस्ताक्षर को अपलोड करेगा।
- उम्मीदवार आवेदन फार्म के अन्य ब्यौरों को भरने की कार्रवाई करेगा।
- 'फाइनल सबमिट' से पहले समस्त आवेदन फार्म की समीक्षा व सत्यापन के लिए समीक्षा बटन पर क्लिक करें।
- यदि अपेक्षित होता है तो ब्यौरों को संशोधित करें तथा सत्यापन के पश्चात ही 'फाईनल सबमिट बटन' पर क्लिक करें तथा सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा अपलोड की गई फोटोग्राफ, हस्ताक्षर व अन्य ब्यौरे सही हैं।
- 'पेमेंट' बटन पर क्लिक करें व भुगतान हेतु कार्रवाई करें।
- 'सबमिट' बटन पर क्लिक करें।

2) फीस का भुगतान (केवल ऑन-लाईन तरीके से)

- आवेदन फार्म को भुगतान गेटवे से जोड़ा जाता है तथा भुगतान प्रक्रिया को निम्नलिखित दिशानिर्देशों द्वारा पूरा किया जाता है।
- भुगतान डेबिट कार्ड (रूपे/वीजा/मास्टर कार्ड /मेस्ट्रो), क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, आईएमपीएस, कैशकार्ड/ मोबाईल वॉलेट का प्रयोग करके किया जा सकता है।
- ऑन-लाईन आवेदन फार्म में अपने भुगतान की जानकारी देने के पश्चात्, कृपया सर्वर से सूचना की प्रतीक्षा करें। डबल चार्ज से बचने के लिए बैंक या रीफ्रेश बटन को न दबाएं।
- लेन-देन को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए, ई-रसीद को प्राप्त किया जाएगा।
- 'ई-रसीद' को न प्राप्त होना बताता है कि भुगतान असफल रहा। भुगतान न होने की स्थिति में उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि अपने अस्थायी रजिस्ट्रेशन नंबर व पासवर्ड का प्रयोग करके तथा भुगतान प्रक्रिया का दुबारा प्रयोग करके दुबारा से लॉग-इन करें।
- उम्मीदवारों को चाहिए कि ई-रसीद व ऑन-लाईन आवेदन फार्म का प्रिंट लें। कृपया नोट करें कि यदि इसे प्राप्त नहीं किया जाता, ऑन-लाईन प्रक्रिया सफल नहीं होगी।
- क्रेडिट कार्ड प्रयोगकर्ताओं के लिए, सभी खर्च भारतीय रुपयों में दर्ज किए जाते हैं। यदि आप गैर-भारतीय क्रेडिट कार्ड का प्रयोग करते हैं तो आपका बैंक प्रचलित विनियमित दरों पर आपकी स्थानीय करेंसी को परिवर्तित करेगा।
- आपके आंकड़ों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए कृपया अपनी प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् एकबार ब्राउज़र विन्डो को बंद करें।
- फीस भुगतान के पश्चात् फीस ब्यौरे सहित आवेदन फार्म को प्रिंट करने की सुविधा है।

3) फोटो व हस्ताक्षर को स्कैन व अपलोड करने के दिशानिर्देश-

क) यदि फोटोग्राफ में चेहरा व हस्ताक्षर अस्पष्ट होते हैं तो आवेदन पत्र को रद्द किया जाएगा।

ख) उम्मीदवार आवेदन पत्र में सुधार कर सकता है तथा ऐसी स्थिति में दुबारा से फोटोग्राफ/हस्ताक्षर अपलोड कर सकता है।

फोटोग्राफ इमेज

- फोटोग्राफ हाल ही की पासपोर्ट साईज रंगीन होनी चाहिए।
- पिक्चर रंगीन होनी चाहिए, हल्की रंगीन नहीं हो, विशेषतः सफेद, पृष्ठभूमि की हो।
- कैमरे के सामने सीधा सामने देखते हुए आरामदायक स्थिति में हो।
- यदि पिक्चर धूप में ली जाती है तो सूर्य आपके पीछे होना चाहिए या स्वयं छाया में खड़े हों, ताकि आपकी आंखें जल्दी-जल्दी न झपकें तथा बड़ी-सी परछाईं न बने।
- यदि आपको फ्लैश का प्रयोग करना है तो सुनिश्चित करें कि 'लाल आंखें' न आएँ।
- यदि आप चश्मा लगाते हैं तो देखें कि कोई भी प्रतिबिंब न आए तथा आपकी आंखें स्पष्ट रूप से दिखाई दें।
- टोपी, हैट तथा ज्यादा रंगीन चश्मे स्वीकार्य नहीं हैं, धार्मिक रूप से सिर पर पहने जाने वाले कपड़ों की अनुमति है किन्तु इससे आपका चेहरा नहीं ढकना चाहिए।
- आकार 200 X 230 पिक्सल (स्वीकृत)
- फाईल का आकार 20केबी-50केबी के बीच होना चाहिए।
- सुनिश्चित करें कि यदि स्कैन ईमेल का आकार 50केबी से ज्यादा होता तो स्कैनिंग करते समय डीपीआई रूपांतरण, रंगों की संख्या इत्यादि से स्कैनिंग की व्यवस्था को समायोजित करें।

हस्ताक्षर ईमेज

- आवेदन को सफेद कागज पर काली स्याही के पैन से हस्ताक्षर करने होंगे।
- केवल आवेदक द्वारा ही हस्ताक्षर किए जाएंगे तथा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा नहीं किए जाएंगे।
- जब भी आवश्यक होगा, कॉल लेटर पर हस्ताक्षर का प्रयोग किया जाएगा।
- परीक्षा के समय पर उपस्थिति शीट पर तथा कॉल लेटर पर प्राप्त किए गए आवेदक के हस्ताक्षर अपलोड किए गए हस्ताक्षर से मिलने चाहिए। यदि नहीं मिलते तो उम्मीदवार को अयोग्य माना जाएगा।
- साईज 140 x 60 पिक्सल (स्वीकृत)
- फाईल का आकार 10केबी -20केबी के बीच के मध्य होना चाहिए।
- सुनिश्चित करें कि स्कैन ईमेल का आकार 20केबी से ज्यादा नहीं हो।

फोटोग्राफ व हस्ताक्षर की स्कैनिंग करना

- स्कैनर रूपांतरण को न्यूनतम 200 डीपीआई पर सेट करना (डॉट्स प्रति इंच)
- कलर को सही रंग (true color) पर सेट करना।
- उक्त विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार फाईल साईज।
- स्कैनर में फोटोग्राफ / हस्ताक्षर के किनारे पर इमेज को क्रॉप करना, इसके बाद इमेज को क्रॉप करने के लिए अंतिम आकार तक संस्कर्ता अपलोड का प्रयोग करें (जैसा कि ऊपर निर्दिष्ट किया गया है।)
- ईमेज फाईल जेपीजी या जेपीईजी फार्मेट में होनी चाहिए। उदाहरणतः फाईल का नाम, ईमेज01.जेपीजी या ईमेज01.जेपीईजी। इमेज आकार को फोल्डर फाईल को लिस्ट करके या फाईल ईमेज आईकॉन पर माउस घुमाकर चैक किया जा सकेगा। जो उम्मीदवार एमएस विन्डो / एमएस ऑफिस का प्रयोग करते हैं वह आसानी से फोटो व हस्ताक्षर इन जेपीईजी फार्मेट जो 50केबी व 20केबी से ज्यादा न हो, क्रमशः एमएस पेंट या एमएस ऑफिस पिक्चर मैनेजर का प्रयोग करके प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी रूप में स्कैन फोटोग्राफ व हस्ताक्षर को फाईल मैनुअल में 'के रूप में सुरक्षित' विकल्प का प्रयोग करके इन.जेपीजी फार्मेट में सुरक्षित रक्ष सकते हैं तथा साईज को क्रॉप का प्रयोग करके 50केबी (फोटोग्राफ) व 20केबी (हस्ताक्षर) से नीचे तक घटाया जा सकता है तथा दुबारा साईज(री-साईज) विकल्प किया जाएगा।

*कृपया पिक्सल साईज के लिए + 'ईमेल' मैनुअल में उक्त मद 'ग' को देखें।

यही विकल्प अन्य फोटो संस्कर्ता में भी उपलब्ध है।

यदि फाईल साईज व फार्मेट विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार नहीं है, तो गलती का मैसेज(एरर मैसेज) दिखाया जाएगा।

ऑन-लाइन आवेदन पत्र फाईल करते समय, उम्मीदवार को अपनी फोटोग्राफ व हस्ताक्षर अपलोड करने के लिए लिंक प्रदान किया जाएगा।

फोटोग्राफ व हस्ताक्षर अपलोड करने की प्रक्रिया

- फोटोग्राफ व हस्ताक्षर को अपलोड करने के लिए दो पृथक लिंक होंगे।
- संबंधित लिंक "अप-लोड फोटोग्राफ/हस्ताक्षर" पर क्लिक करें।
- जिस स्थान पर स्कैन की गई फोटो/ हस्ताक्षर को सुरक्षित किया गया है, का चयन करें तथा ब्राउज करें।
- उस पर क्लिक करके फाईल का चयन करें।
- 'अप-लोड' बटन पर क्लिक करें।

नोट: कृपया नोट करें कि उम्मीदवार का नाम, श्रेणी, जन्मतिथि, पता, मोबाईल नं., ईमेल आईडी, परीक्षा का केन्द्र, इत्यादि सहित ऑन-लाइन आवेदन पत्र में वर्णित किए गए सभी विवरणों को अंतिम माना जाएगा तथा ऑन-लाइन आवेदन पत्र के प्रस्तुतिकरण के पश्चात् किसी भी परिवर्तन/संशोधन की अनुमति नहीं दी जाएगी। अतः उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि ऑन-लाइन आवेदन पत्र भरते समय पूर्ण सावधानी बरतें चूंकि विवरणों में संशोधन से संबंधित किसी भी प्रकार का पत्र व्यवहार नहीं किया जाएगा। कंपनी आवेदन पत्र में गलत और/या अपूर्ण ब्यौरों को प्रस्तुत करने से या आवेदन पत्र में अपेक्षित ब्यौरों को गलती से न देने पर उत्पन्न किन्हीं भी परिणामों के लिए उत्तरदायी नहीं होगी।

किसी भी प्रकार से अपूर्ण ऑन-लाइन आवेदन पत्र को, जैसे कि ऑन-लाइन आवेदन पत्र में अनुचित आकार के अपलोड किए गए फोटोग्राफ या हस्ताक्षर/ असफल फीस भुगतान को वैध नहीं माना जाएगा/ उम्मीदवारों को उनके स्वयं के हित में सूचित किया जाता है कि समाप्ति से पूर्व ऑन-लाइन आवेदन करें तथा इंटरनेट पर ज्यादा भार/ वेबसाइट जाम के कारण, वेबसाइट पर लॉग-इन न कर पाने/ कनेक्शन टूटने/ असमर्थता की संभावना से बचने के लिए, फीस जमा करने/सूचना खर्चों के लिए अंतिम तिथि तक का इंतजार न करें। कंपनी उक्त कथित कारणों या किन्हीं अन्य कारणों के कारण अंतिम तिथि के भीतर अपने आवेदन पत्रों को प्रस्तुत करने में असमर्थ होने पर, उम्मीदवारों के लिए किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगी। कृपया नोट करें कि आवेदन करने के लिए उक्त प्रक्रिया के अतिरिक्त कोई भी वैध प्रक्रिया नहीं है। किसी भी अन्य प्रकार से आवेदन

पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। अपूर्ण आवेदन पत्रों को रद्द किया जाएगा।

अपने आवेदन पत्र में आवेदक द्वारा प्रस्तुत की गई कोई भी अन्य जानकारी, उम्मीदवार पर व्यक्तिगत रूप से बाध्य होगी तथा बाद में उसके द्वारा प्रस्तुत की गई कोई भी जानकारी/विवरण, यदि गलत पाए जाते हैं तो वह सजा पाने/कानूनी परिणामों के लिए उत्तरदायी होगा।

कॉल लेटर को डाऊन-लोड करना

उम्मीदवारों को ऑन-लाईन चरण-I व II के लिए अलग से परीक्षा के लिए, कॉल लेटर डाऊन-लोड करने के लिए हमारी वेबसाइट www.orientalinsurance.org.in पर जाना होगा। कॉल लेटर डाऊन-लोड करने की सूचना ईमेल/एसएमएस द्वारा भेजी जाएगी। उम्मीदवार एक बार संबंधित लिंक को क्लिक करता है, तो वह कॉल लेटर डाऊन-लोड करने के लिए विंडो को एक्सेस कर सकता है। उम्मीदवार को कॉल लेटर डाऊन-लोड करने के लिए (i) रजिस्ट्रेशन नं./रोल नं., (ii) पासवर्ड/जन्म तिथि अपेक्षित है। उम्मीदवार को कॉल लेटर पर अभी हाल की पहचानी जाने वाली फोटोग्राफ लगानी होगी, विशेष रूप से जो रजिस्ट्रेशन के दौरान दी गई थी तथा परीक्षा केन्द्र पर (i) कॉल लेटर (ii) पहचान को सत्यापित करने के लिए तथा कॉल लेटर में पहले विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार मूल में फोटो पहचान पत्र तथा (iii) उसी फोटो पहचान पत्र की फोटो कॉपी की मूल प्रति भी लाएं।

12. दुराचार के दोषी पाए जाने वाले उम्मीदवारों के विरुद्ध कार्रवाई

उम्मीदवारों से अपने स्वयं के हित में सूचित किया जाता है कि उन्हें ऐसे कोई भी विवरण जो झूठे, छेड़छाड़ किए गए या जालसाजी किए गए हैं, जमा नहीं करवाने होंगे तथा ऑन-लाईन आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी नहीं छुपानी होगी।

ऑन-लाईन परीक्षा, साक्षात्कार या उसके पश्चातवर्ती चयन प्रक्रिया के समय पर, यदि उम्मीदवार निम्न का दोषी पाया जाता है या पाया गया है तो वह निम्न के लिए उत्तरदायी होगा:

(i) गलत तरीके का प्रयोग करके या (ii) भेष बदल कर या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भेष बदलवाकर या (iii) परीक्षा/साक्षात्कार में दुर्व्यवहार करके या छुपाकर, प्रकाशित, दुबारा तैयार करके, संचारण, स्टोर करके या ट्रांसमीटिंग उपलब्ध करवाकर तथा परीक्षा(यों) की विषयवस्तु को स्टोर करके या उसमें किसी भी जानकारी को पूर्णतः या किसी भी रूप में उसके किसी भी भाग को या किसी भी माध्यम से, मौखिक या लिखित, किसी भी उद्देश्य से इलैक्ट्रॉनिकली या यांत्रिक रूप से या (iv) अपनी उम्मीदवारी के संबंध में किसी भी अनियमित या अनुचित साधनों का सहारा लेना या (v) अपनी उम्मीदवारी के लिए किसी भी अनुचित माध्यमों द्वारा सहायता प्राप्त करना या (vi) परीक्षा/ साक्षात्कार हॉल में संप्रेषण के लिए मोबाईल फोन या इसी प्रकार के इलैक्ट्रॉनिक उपकरणों को साथ ले जाना, ऐसे उम्मीदवार, स्वयं को प्रस्तुत करने के अलावा अपराधिक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होंगे:

1. उसे परीक्षा से अयोग्य किया जाएगा जिसके वह उम्मीदवार हैं।
2. दि ओरिएण्टल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा संचालित की गई किसी भी परीक्षा से, स्थायी रूप से या विशिष्ट अवधि के लिए वंचित किया जाएगा।
3. यदि उसने पहले ही कंपनी (दि ओरिएण्टल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड) में कार्यभार संभाल लिया है तो सेवा की समाप्ति की जाएगी।

अनु.जाति/अनु.जनजाति/ओबीसी/पीडब्ल्यूडी हेतु विशेष दिशानिर्देश

1) अनु.जाति/अनु.जनजाति के उम्मीदवारों के संबंध में जाति प्रमाण पत्र निम्नलिखित प्राधिकारियों से प्राप्त किया जाएगा:

- i) जिला न्यायाधीश / अतिरिक्त जिला न्यायाधीश / जिलाधीश /उपायुक्त / उप जिलाधीश / प्रथम श्रेणी के वैतनिक दण्डाधिकारी / उप मंडलीय न्यायाधीश / तालुका न्यायाधीश / कार्यकारी न्यायाधीश /अतिरिक्त सहायक आयुक्त (प्रथम श्रेणी वैतनिक दण्डाधिकारी की श्रेणी से नीचे नहीं)
- ii) मुख्य प्रधान न्यायाधीश /अतिरिक्त मुख्य प्रधान न्यायाधीश / प्रधान न्यायाधीश
- iii) तहसीलदार की श्रेणी से नीचे नहीं राजस्व अधिकारी।
- iv) उस क्षेत्र के उप मंडलीय अधिकारी, जहां पर उम्मीदवार और/या उसका परिवार आमतौर पर रहता है।
- v) जहां तक तमिलनाडू के अनु.जनजाति समुदाय का संबंध है, तहसीलदार की बजाय राजस्व मंडलीय अधिकारी द्वारा दिया गया प्रमाण ही स्वीकार किया जाएगा।

नोट: उस राज्य / संघ शासित के उपायुक्त प्राधिकारियों से, जहां से जाति प्रमाण पत्र जारी किया गया था, प्रमाणित फोटोस्टेट कॉपी सहित जाति वैद्यता प्रमाण पत्र की मूल प्रति, साक्षात्कार के समय पर प्रस्तुत की जाएगी।

2) ओबीसी के रूप में आरक्षण चाहने वाले उन उम्मीदवारों को डीओपीटी ओएम नंबर में वर्णित किए गए प्राधिकार द्वारा जारी किए गए उसके "ओबीसी दर्जा व नॉन-क्रीमी लेयर का दर्जा" से संबंधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

दिनांकित 15/11/1993 36012/22/93-स्था.(एससीटी) {दिनांकित 14/10/2008 को ओएम नं.36033/3/2004-स्था..(आवा.) द्वारा संशोधित}। प्रमाण पत्र में दिनांक 31/03/2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु आय पर आधारित "नॉन-क्रीमी लेयर क्लॉज" शामिल होना चाहिए। ऐसे उम्मीदवारों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र के अलावा घोषणा भी निम्नलिखित फार्मेट में प्रस्तुत करनी होगा:

"मैं _____ सुपुत्र/सुपुत्री श्री _____ गांव/शहर/नगर _____ जिला राज्य _____ का निवासी एतद्वारा घोषणा करता हूँ /करती हूँ कि मैं _____ समुदाय से संबंध रखता/रखती हूँ जो कि दिनांकित 8-9-1993 के कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग के कार्यालयी मेमोरेण्डम नं.36012/22/93-स्था.(एससीटी) (जोकि दिनांकित 14.10.2008 के ओएम नं. 36033/3/2004-स्था.(आवा.) द्वारा संशोधित किया गया है) में शामिल आदेशानुसार सेवाओं में आरक्षण के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा पिछड़ी श्रेणी के रूप में जाना जाता है। यह भी घोषणा की जाती है कि मैं उपरोक्त संदर्भित कार्यालयी जापन दिनांकित 8-9-1993 तथा कार्यालयी जापन सं.36033/3/2004-स्था. (आवा.) दिनांक 9 मार्च 2004 तथा कार्यालयी जापन सं.36033/3/2004-स्था. (आवा.) दिनांक 14 अक्टूबर, 2008 के कॉलम 3 में वर्णित किए गए व्यक्तियों/खंडों/खंडों(क्रीमी लेयर) से संबंधित नहीं हूँ।

3) अयोग्यताओं वाले व्यक्तियों के लिए: प्राधिकृत प्रमाणीकरण प्राधिकारी, जिला स्तर पर मेडीकल मंडल जिसमें मुख्य चिकित्सकीय अधिकारी जिसमें उप मंडलीय चिकित्सकीय अधिकारी तथा ऑर्थोपेडिक/ ऑफथाल्मिक/ईएनटी सर्जन शामिल है।

4) कृपया साक्षात्कार के समय पर प्रस्तुत किए जाने वाले (अनु.जाति, अनु.जनजाति, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी, भूतपूर्व-कर्मचारी) प्रमाणपत्रों के विनिर्दिष्ट फार्मेट हेतु परिशिष्ट का संदर्भ लें। इन श्रेणियों से संबंध रखने वाले उम्मीदवारों को सख्ती से केवल उन्हीं फार्मेट में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे।

सामान्य जानकारी

क) परीक्षा के प्रबंधन में कुछ परेशानियों के होने की संभावना से पूर्णतया इंकार नहीं किया जा सकता जिनके उत्पन्न होने से परीक्षण वितरण और/या परिणाम प्रभावित हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में, समस्या के समाधान हेतु भरसक प्रयास किया जाएगा, जिसमें उम्मीदवारों को अन्य केन्द्रों में स्थानांतरित करना या यदि आवश्यक माना जाता है तो पुनः दुबारा परीक्षा संचालित करना शामिल है। इस संबंध में कंपनी का निर्णय अंतिम होगा। जो उम्मीदवार इन परिवर्तनों को स्वीकार नहीं करना चाहते उनकी इस परीक्षा के लिए अपनी उम्मीदवारी समाप्त हो जाएगी।

ख) कंपनी का नियुक्ति से संबंधित सभी मामलों में निर्णय अंतिम माना जाएगा तथा उम्मीदवारों पर बाध्य होगा। इस संबंध में किसी भी पत्राचार या व्यक्तिगत पूछताछ पर विचार नहीं किया जाएगा।

ग) यदि परीक्षा एक से ज्यादा सत्रों में आयोजित की जाती है तो विभिन्न सत्रों में स्कोर के पूरे सत्रों में प्रयोग की जाने वाली विभिन्न परीक्षण बैटरी के कठिनाई स्तर में मामूल अंतर के लिए समायोजित किया जाएगा यदि किसी केन्द्र पर मूलभूत क्षमता कम है या किसी भी केन्द्र पर या किसी उम्मीदवार के लिए तकनीकी व्यवधान होता है तो एक से अधिक सत्र होंगे।

4) व्यक्तिगत उम्मीदवारों के जवाबों (उत्तरों) का विश्लेषण किया जाएगा तथा अन्य उम्मीदवारों के साथ सही और गलत जवाबों के पैटर्न का पता लगाया जाएगा। यदि इस संबंध में अपनाए गए विश्लेषणात्मक प्रक्रिया में यह अनुमान लगाया गया है कि जवाब साझा किए गए हैं और प्राप्त अंक वास्तविक/मान्य नहीं हैं, कंपनी संबंधित उम्मीदवारों को उम्मीदवारिता रद्द करने का अधिकार रखती है और ऐसे उम्मीदवारों के परिणाम (अयोग्य) रोक दिया जाएगा।

ड.) यदि चयन प्रक्रिया की किसी भी स्थिति में, उम्मीदवार द्वारा प्रक्रिया का उल्लंघन और/या गलत जानकारी प्रदान करने की घटनाओं से, उम्मीदवार को अयोग्य ठहराया जाएगा और उसे भविष्य में किसी भी ओआईसीएल (दि ओरिएण्टल इंड्योरेंस कंपनी लिमिटेड) की भर्ती प्रक्रिया में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि वर्तमान चयन प्रक्रिया के दौरान उन घटनाओं का पता नहीं चल पाता है, किन्तु बाद में पता चल जाता है, तो ऐसी अयोग्यता पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू होगी।

आवेदक को पद के लिए ऑन-लाईन आवेदन करते समय सुनिश्चित करना चाहिए कि वह पात्रता को पूरा करता/करती है तथा उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए विवरण तथा उक्त तिथियों के अनुसार उक्त वर्णित किए गए मापदंड सभी प्रकार से सही हैं। यदि भर्ती की किसी भी स्थिति में यह मालूम चलता है कि उम्मीदवार पात्रता मापदंडों को पूरा नहीं करता है और/या कि उसने कोई भी गलत/झूठी जानकारी प्रस्तुत की है या किसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी को छुपाया है, उसका/उसकी उम्मीदवारी रद्द मानी जाएगी। यदि ऐसी कोई भी गलती, नियुक्ति के पश्चात् भी पाई जाती है, उसकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी।

6) उम्मीदवारों को उनके स्वयं के हित के लिए समाप्ति तिथि से पूर्व ही आवेदन करने के लिए कहा जाता है तथा इंटरनेट पर ज्यादा लोड या वेबसाइट जाम के कारण वेबसाइट पर लॉग करने पर लिंक टूटने/असमर्थ/असफल होने की संभावना को दूर करने के लिए अंतिम तिथि तक का इंतजार न करें।

7) कंपनी उम्मीदवारों की किसी भी जिम्मेदारी को नहीं मानती है जो कि किसी भी कारण से अपने आवेदन को अंतिम तिथि के भीतर जमा नहीं कर पा रहे हैं।

- 8) आवेदकों को स्वयं के ऑन-लाइन रजिस्टर करने के लिए तथा भर्ती प्रक्रिया के दौरान अपने ईमेल को चालू रखने के लिए कहा जाता है। उम्मीदवारों को कंपनी से एसएमएस सेवा के लिए आवेदन फार्म में अपना मोबाईल नंबर देना चाहिए।
- 9) उम्मीदवारों का चयन ऑन-लाइन परीक्षा व साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा। कंपनी किसी भी अन्य परीक्षा को करवाने तथा अपने विवेकानुसार, जहां आवश्यक हो, किसी केन्द्र को शामिल करने, हटाने या आबंटित करने का अधिकार सुरक्षित रखती है।
- 10) दस्तावेजों के संदर्भ में उम्मीदवारों की ऑन-लाइन परीक्षा के लिए स्वीकृति, आयु/योग्यता/ (अनु.जाति/अनु.जनजाति/ओबीसी/पीडब्ल्यूडी/एक्सएस) संवर्ग के सत्यापन के बिना पूर्णतया अस्थायी होगी।
- 11) साक्षात्कार के लिए बुलाए गए उम्मीदवारों द्वारा आयु/योग्यता/श्रेणी इत्यादि से संबंधित दस्तावेज, साक्षात्कार के समय पर प्रस्तुत करने होंगे। अनु.जाति/अनु.जनजाति/ओबीसी का आरक्षण चाहने वाले उम्मीदवारों द्वारा सक्षम प्राधिकारी से विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में स्पष्ट रूप से उम्मीदवार की जाति बताकर, जाति वैद्यता प्रमाण पत्र सहित प्रमाण पत्र अवश्य प्रस्तुत किए जाने चाहिए।
- 12) यदि किसी भी स्तर पर जाति प्रमाण पत्र की गलत बयानी पाई जाती है तो उम्मीदवारी स्वयं ही रद्द हो जाएगी।
- 13) राष्ट्रीकृत बैंकों व वित्तीय संस्थानों सहित सरकारी/अर्ध सरकारी कार्यालयों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत उम्मीदवारों को साक्षात्कार के समय पर अपने नियोक्ताओं से 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा उनकी उम्मीदवारी मान्य नहीं होगी तथा यात्रा खर्च, यदि अन्य कोई स्वीकार्य है तो उनका भुगतान नहीं किया जाएगा। जिन उम्मीदवारों का चयन हो जाता है उन्हें कंपनी में कार्यभार संभालते समय अपने नियोक्ता (सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र/निजी) से डिस्चार्ज लैटर/कार्यमुक्त पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसके बिना उन्हें कार्यभार नहीं संभालने दिया जाएगा।
- 14) उम्मीदवारों को अपने स्वयं के खर्च पर परीक्षा के लिए उपस्थित होना होगा। साक्षात्कार के लिए बुलाए गए उम्मीदवारों को, यात्रा प्रमाण (रेल/बस टिकट/रसीद इत्यादि) प्रस्तुत करने पर, अपने आवास के स्थान से सबसे छोटे से रास्ते से स्लीपर क्लास से आने वा जाने का रेल किराया/बस किराया पाने के हकदार हैं।
- 15) चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति कंपनी की आवश्यकताओं के अनुसार उनकी मेडीकल फिटनेस के अधीन होती है। ऐसी नियुक्ति कंपनी के सेवा और आचरण नियमों के अधीन ही होगी।
- 16) कंपनी का, पात्रता, ऑन-लाइन परीक्षा में आचरण, अन्य परीक्षाओं, साक्षात्कार व चयन से संबंधित सभी मामलों पर कंपनी का निर्णय अंतिम होगा तथा सभी उम्मीदवारों पर बाध्य होगा।
- 17) कंपनी उम्मीदवार के आरंभिक नियुक्ति स्थान से 5 वर्ष की अवधि की समाप्ति से पहले भारत में कहीं पर स्थानांतरित करने का अधिकार सुरक्षित रखती है।
- 18) दावों के किसी मामले से संबंधित किसी कानूनी कार्रवाई या इस विज्ञापन से उत्पन्न विवाद और/या उसकी प्रतिक्रियाओं में आवेदन को केवल नई दिल्ली में ही स्थापित किया जा सकता है। केवल नई दिल्ली स्थित कोर्ट/ट्रिब्यूनल/फोरम ही किसी कारण/विवाद के लिए एकल तथा विशेष क्षेत्राधिकार होगा।
- 19) चयनित उम्मीदवार उस समय कंपनी की सेवा विनियमों की सेवा व शर्तों द्वारा शासित होंगे।
- 20) परीक्षा भवन के अंदर मोबाईल फोन, केलकुलेटर या ऐसी किन्हीं उपकरणों का प्रयोग निषेध होगा। उम्मीदवारों को परीक्षा परिसर में दाखिल होने से पहले अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित के लिए तैयार होना चाहिए:
- i) जहां पर परीक्षा संचालित की जाती है, परिसर के भीतर मोबाईल फोन या किन्हीं अन्य संप्रेषण उपकरणों की अनुमति नहीं दी जाती है। इन निर्देशों के किसी भी उल्लंघन से उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी तथा भविष्य में परीक्षाओं पर रोक सहित आनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी।
- ii) उम्मीदवारों के स्वयं के हित के लिए परीक्षा स्थल पर मोबाईल फोन सहित किन्हीं निषेध सामानों को न लाने का निर्देश दिया जाता है चूंकि सुरक्षित रूप से रखने का कोई भी प्रबंध नहीं होगा।
- प) परीक्षा/साक्षात्कार के लिए उम्मीदवार की स्वीकृति सख्ती से अनंतिम होगी।

मात्र तथ्य यह है कि उम्मीदवार को जारी किए जा रहे बुलावा पत्र (कॉल लेटर) में यह नहीं बताया जाता है कि कंपनी द्वारा उसकी उम्मीदवारी को अंततः मंजूरी दे दी गई है।

23) कंपनी को बिना कोई कारण बताए, प्रक्रिया की किसी भी स्थिति में, उक्त भर्ती प्रक्रिया को उद् करने का अधिकार है।

किन्हीं विसंगतियों की स्थिति में, हमारी वेबसाईट www.orientalinsurance.org.in के भर्ती खंड में प्रकाशित किए गए विस्तृत विज्ञापन के अंग्रेजी अनुवाद को अंतिम माना जाएगा। उम्मीदवारों के विस्तृत विज्ञापन के लिए ऑन-लाईन आवेदन के लिए तथा भर्ती प्रक्रिया में आगे की जानकारियों के लिए हमारी वेबसाईट के भर्ती खंड पर जाने की सलाह दी जाती है।

किसी भी प्रकार का पक्ष प्रचार अयोग्य माना जाएगा।

मानव संसाधन विभाग
उप महाप्रबंधक

दिनांक:

नई दिल्ली

अनु.जाति या अनु.जनजाति द्वारा अपने दावे के समर्थन में प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्र का फार्म

1. यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री* _____ सुपुत्र/सुपुत्री _____ गांव/शहर
_____ जिला/मंडल* _____ राज्य/केन्द्र शासित* _____
में जाति/जनजाति _____ है, जिसे निम्न के अंतर्गत अनुसूचित जाति/अनु.जनजाति के रूप में माना जाता है:

- * संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 ;
- * संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 ;
- * संविधान (अनुसूचित जाति) (केन्द्र शासित) आदेश, 1951 ;
- * संविधान (अनुसूचित जनजाति) (केन्द्र शासित) आदेश, 1951 ;

[जैसा कि (अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों की सूची संशोधनों द्वारा संशोधित किया गया है) आदेश,1956; मुम्बई पुनर्गठन अधिनियम, 1960; पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1970, उत्तर-पूर्वीय क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971, संविधान (अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम,1976]:

- * संविधान (जम्मू-कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश,1956 ;
- * संविधान (अंदमान-निकोबार द्वीपसमूह) अनुसूचित
जनजाति आदेश, 1959; अनुसूचित जाति व अनुसूचित
जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा संशोधित
- * संविधान (दादरा-नगर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश, 1962 ;
- * संविधान (दादर-नगर हवेली) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1962 ;
- * संविधान (पाँडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश 1964;
- * संविधान (उत्तर प्रदेश) अनुसूचित जनजाति आदेश,1967;
- * संविधान (गोवा, दमन दीव) अनुसूचित जाति आदेश, 1968 ;
- * संविधान (गोवा, दमन दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1968 ;
- * संविधान (नागालैंड) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970 ;
- * संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश, 1978 ;
- * संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1978 ;
- * संविधान (जम्मू-कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1989 ;
- * संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1990;
- * संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश(संशोधन) अध्यादेश, 1991 ;
- * संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (द्वितीय संशोधन) अधिनियम,1991 ;
- * संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अध्यादेश, 1996.

2. उन अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों की स्थिति पर लागू है, जो एक राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश से आकर बसे हैं।

यह प्रमाण पत्र अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति* के आधार पर श्री/श्रीमति/कुमारी _____ माता/पिता श्री/श्रीमति/कुमारी _____ गांव/शहर जोकि जिला/मंडल* _____ के राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश* _____ में * _____ जाति/जनजाति से संबंध रखते हैं, जो दिनांक _____ के आदेश से _____ [प्राधिकरण का नाम] के द्वारा जारी किए गए आदेशानुसार राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश में अनुसूचित जाति/जनजाति के रूप में जाने जाते हैं।

3. श्री/श्रीमति/कुमारी* _____ और/या* उसके* पारिवारिक सदस्य(यों) सामान्यतः _____ राज्य/केन्द्र शासित राज्य* के _____ जिला/मंडल* के _____ गांव/शहर में सामान्यतः रहते हैं।

हस्ताक्षर _____

पदनाम _____

स्थान :

दिनांक :

[कार्यालय की

मुहर सहित]

राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश

नोट: यहां पर प्रयुक्त शब्द "सामान्यतः रहते हैं" का अभिप्राय लोक अधिनियम, 1950 के अभ्यावेदन के खंड 20 के अनुसार होगा।

* कृपया उन शब्दों को हटाएं जो लागू नहीं हैं।

पैराग्राफ को हटाएं जो लागू नहीं हैं।

जाति/जनजाति प्रमाणपत्रों को जारी करने के लिए प्राधिकृत प्राधिकारियों की सूची :

1. जिला न्यायाधीश / अतिरिक्त जिला न्यायाधीश / जिलाधीश / उपायुक्त / अतिरिक्त उपायुक्त / उप-जिलाधीश/ श्रेणी I वैतनिक न्यायाधीश / उप-मंडलीय न्यायाधीश / अतिरिक्त सहा.आयुक्त / तालुका न्यायाधीश / कार्यकारी न्यायाधीश ।
2. मुख्य प्रधान न्यायाधीश / अतिरिक्त मुख्य प्रधान न्यायाधीश / प्रधान न्यायाधीश।
3. तहसीलदार से ऊपर की श्रेणी के राजस्व अधिकारी।
4. उस क्षेत्र के उप-मंडलीय अधिकारी जहां पर उम्मीदवार और/या उसका परिवार सामान्यतः रहता है।

**भारत सरकार के अंतर्गत पदों की नियुक्ति हेतु आवेदन करने के लिए,
अन्य पिछड़ी जातियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्र का फार्म**

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमति/कुमारी सुपुत्र/सुपुत्री श्री/श्रीमति
जो राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश में जिला/डिवीजन में गांव/शहर
.....के समुदाय से संबंध रखता/रखती है जो भारत सरकार, सामाजिक न्याय व
सशक्तिकरण विनियम सं. के अंतर्गत पिछड़ी श्रेणी के रूप में जाने जाते हैं। दिनांकित
.....* श्री/श्रीमति/कुमार और/या उसका परिवार राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश के जिला/डिवीजन
..... में सामान्यतः रहता है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वह भारत सरकार, कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग ओ.एम.सं.
36012/22/93 - स्था.(एससीटी) दिनांक 08.09.1993** की अनुसूची के कॉलम 3 में वर्णित किए गए व्यक्तियों /खंडों (क्रीमी लेयर) से संबंध नहीं
रखता है।

जिला न्यायाधीश
उपायुक्त इत्यादि

दिनांक:

मुहर

*- प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी को भारत सरकार के संकल्प का ब्योरा देना होगा जिसमें ओबीसी के रूप में उम्मीदवार की जाति बताई गई है।
**- समय-समय पर संशोधनानुसार।

नोट:- नोट: यहां पर प्रयुक्त शब्द "सामान्यतः" का अभिप्राय लोक अधिनियम, 1950 के अभ्यावेदन के खंड 20 के अनुसार होगा।

फार्म-II

अयोग्यता प्रमाण पत्र

(अंग-विच्छेदन या अंगों का पूर्ण स्थायी पक्षाधान की स्थिति में तथा नेत्रहीनता की स्थिति में)

(प्रमाण पत्र जारी करने वाले चिकित्सकीय प्राधिकारी का नाम व पता)

वर्तमान पासपोर्ट साईज सत्यापित अयोग्यता सहित व्यक्ति का फोटोग्राफ (केवल चेहरा दिखाकर)

प्रमाण पत्र नं.

दिनांक :

यह सत्यापित किया जाता है कि मेरे द्वारा सावधानी पूर्वक जांचा गया है:

श्री/श्रीमति/कुमारी _____ पुत्र/पत्नी /पुत्री _____ श्री _____ जन्म तिथि (दिन / माह / वर्ष) _____ आयु _____ वर्ष, पुरुष/महिला रजिस्ट्रेशन नं.. _____ मकान नं. _____ का स्थायी निवासी, वार्ड/गांव/गली _____ पोस्ट ऑफिस _____ जिला _____ राज्य _____, जिसका/जिसकी फोटोग्राफ ऊपर लगाई गई है तथा संतुष्ट हूँ कि :

(1) यह निम्न का मामला है :

$\frac{3}{4}$ लोकोमोटर अयोग्यता $\frac{3}{4}$ नेत्रहीनता

(कृपया लागू के रूप में चिन्हित करें)

(2) इनके मामले में रोग-निदान है _____

(क) दिशानिर्देशों(विनिर्दिष्ट किए जाने) के अनुसार उसके _____(शरीर के अंग) के संबंध में, उसका स्थायी शारीरिक हानि/नेत्रहीनता का _____ % (अंकों में) _____ % (शब्दों में) है।

2 . आवेदक ने आवास के प्रमाण के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं :-

दस्तावेज का प्रकार	जारी करने की तिथि	द्वारा प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का ब्यौरा

(अधिसूचित चिकित्सकीय प्राधिकारी के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर व मुहर)

उस व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान, जिसके पक्ष में अयोग्यता प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

फार्म - III

अयोग्यता प्रमाण पत्र
(विभिन्न अयोग्यताओं की स्थिति में)

(प्रमाण पत्र जारी करने वाले चिकित्सकीय प्राधिकारी का नाम व पता)

वर्तमान पासपोर्ट साईज सत्यापित अयोग्यता सहित व्यक्ति का फोटोग्राफ (केवल चेहरा दिखाकर)

प्रमाण पत्र नं.

दिनांक :

यह सत्यापित किया जाता है कि मेरे द्वारा सावधानी पूर्वक जांचा गया है

श्री/श्रीमति/कुमारी _____ पुत्र/पत्नी /पुत्री श्री _____
 जन्म तिथि (दिन / माह / वर्ष) _____ आयु _____ वर्ष, पुरुष/महिला रजिस्ट्रेशन नं.. _____
 मकान नं. _____ का स्थायी निवासी, वार्ड/गांव/गली _____ पोस्ट ऑफिस
 _____ जिला _____ राज्य _____, जिसका/जिसकी फोटोग्राफ ऊपर लगाई गई है तथा
 संतुष्ट हूँ कि:

- (1) उसका विभिन्न अयोग्यताओं का मामला है। उसकी स्थायी शारीरिक हानि/अयोग्यता की सीमा को, नीचे तालिका में संबंधित अयोग्यता के सामने दर्शायी गई तथा नीचे चिन्हित अयोग्यताओं के लिए दिशानिर्देशों (विनिर्दिष्ट किया जाए) के अनुसार मूल्यांकित किया गया है:

क्र.सं.	अयोग्यता	शरीर का प्रभावित भाग	रोग निदान	स्थायी शारीरिक हानि/शारीरिक अयोग्यता (% में)
1	लोकोमोटर अयोग्यता	@		
2	कम दृष्टि	#		
3	नेत्रहीनता	दोनों आंखों की		
4	बहरापन	£		
5	मानसिक रूप से अशक्त	X		
6	मानसिक बीमारी	X		

- (2) उक्त के संदर्भ में, दिशानिर्देशों के अनुसार, उसका/उसकी संपूर्ण स्थायी शारीरिक हानि, निम्न प्रकार से है:-

अंकों में :- _____ प्रतिशत

शब्दों में :- _____ प्रतिशत

2. यह स्थिति प्रोग्रेसिव /गैर-प्रोग्रेसिव/सुधार की संभावना/सुधार की संभावना नहीं है।

3. अयोग्यता का पुनर्निर्धारण : (I) आवश्यक नहीं है,

या

(ii) _____ माह _____ वर्षों के पश्चात् सिफारिश की जाती है व इसी लिए यह प्रमाण पत्र _____ दिन/माह/वर्ष तक वैध होगा:

@ - अर्थात् बाईं/ दाईं/ दोनों बाजू/ टांगें

- अर्थात् एक आंख / दोनों आंखें

£ - अर्थात् बाईं / दाईं / दोनों कान

4. आवेदक ने आवास के प्रमाण के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं :-

दस्तावेज का प्रकार	जारी करने की तिथि	द्वारा प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का ब्यौरा

5. चिकित्सकीय प्राधिकारी के हस्ताक्षर व मुहर

सदस्य का नाम व मुहर	सदस्य का नाम व मुहर	अध्यक्ष का नाम व मुहर

उस व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान जिसके पक्ष में अयोग्यता प्रमाण पत्र जारी किया जाता है ।

फार्म - IV

अयोग्यता प्रमाण पत्र

(फार्म II व III में वर्णित किए गए उन मामलों के अलावा)

(प्रमाण पत्र जारी करने वाले चिकित्सकीय प्राधिकारी का नाम व पता)

वर्तमान पासपोर्ट साईज सत्यापित अयोग्यता सहित व्यक्ति का फोटोग्राफ (केवल चेहरा दिखाकर)

प्रमाण पत्र नं.

दिनांक :

यह सत्यापित किया जाता है कि मेरे द्वारा सावधानी पूर्वक जांचा गया है:

श्री/श्रीमति/कुमारी _____ पुत्र/पत्नी /पुत्री श्री _____
जन्म तिथि (दिन / माह / वर्ष) _____ आयु _____ वर्ष, पुरुष/महिला रजिस्ट्रेशन नं.. _____
मकान नं. _____ का स्थायी निवासी, वार्ड/गांव/गली _____ पोस्ट ऑफिस
_____ जिला _____ राज्य _____, जिसका/जिसकी फोटोग्राफ ऊपर लगाई गई है तथा
संतुष्ट हूँ कि उसका/उसकी _____ विकलांगता का मामला है। उसका/उसकी शारीरिक हानि/अयोग्यता प्रतिशत की सीमा को, नीचे तालिका
में संबंधित अयोग्यता के सामने दर्शायी गई तथा नीचे चिन्हित अयोग्यताओं के लिए दिशानिर्देशों (विनिर्दिष्ट किया जाए) के अनुसार मूल्यांकित किया
गया है:

क्र.सं.	अयोग्यता	शरीर का प्रभावित भाग	रोग निदान	स्थायी शारीरिक हानि/शारीरिक अयोग्यता (% में)
1	लोकोमोटर अयोग्यता	@		
2	कम दृष्टि	#		
3	नेत्रहीनता	दोनों आंखों की		
4	बहरापन	£		
5	मानसिक रूप से अशक्त	X		
6	मानसिक बीमारी	X		

(कृपया उक्त अयोग्यताएं हटाएं जो लागू नहीं हैं)

- उक्त स्थिति प्रोग्रेसिव /गैर-प्रोग्रेसिव/सुधार की संभावना/सुधार की संभावना नहीं है।
- अयोग्यता का पुनर्निर्धारण : (i) आवश्यक नहीं है,

या

(ii) _____ माह _____ वर्षों के पश्चात् सिफारिश की जाती है व इसी लिए यह प्रमाण पत्र _____ दिन/माह/वर्ष तक वैध होगा:

@ - अर्थात् बाईं/ दाईं/ दोनों बाजू/ टांगें

- अर्थात् एक आंख / दोनों आंखें

£ - अर्थात् बाईं / दाईं / दोनों कान

4. आवेदक ने आवास के प्रमाण के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं :-

दस्तावेज का प्रकार	जारी करने की तिथि	द्वारा प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का ब्यौरा

(अधिसूचित मेडीकल अधिकारी के प्राधिकृत हस्ताक्षर)
(नाम व मुहर)

प्रति हस्ताक्षर

{यदि प्रमाण पत्र ऐसे चिकित्सकीय प्राधिकारी द्वारा जारी किया जाता है जो सरकारी नौकर नहीं है तो सरकारी अस्पताल के प्रभारी/मेडीकल सुपरिंटेंडेंट/सीएमओ के प्रति हस्ताक्षर (मुहर के साथ)}

जिस व्यक्ति के संबंध में अयोग्यता प्रमाण पत्र जारी किया गया है उसके हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

नोट : यदि यह प्रमाण पत्र ऐसे चिकित्सकीय अधिकारी द्वारा जारी किया गया जो सरकारी नौकर नहीं है तो यह तभी मान्य होगा यदि जिले के मुख्य चिकित्सकीय अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर होंगे।

नोट: मुख्य नियम भारत के राजपत्र के दिनांक 31.12.1996 की अधिसूचना सं. एस.ओ.908 (ई), में प्रकाशित किए गए थे।

प्रोफोर्मा - ए

सेवानिवृत्त कार्मिक/स्वतंत्र हेतु लागू प्रमाण पत्र का फार्म

यह प्रमाणित किया जाता है कि संख्या _____ रैंक _____ नाम _____ जिसकी जन्म तिथि _____ है ने सेना/नौसेना/वायु सेना में _____ से _____ तक सेवा प्रदान की है।

2. उसे निम्न कारणों से सैनिक सेवाओं से मुक्त कर दिया गया है:

क) _____ के बिना % काम पूरा होने पर

(i) निष्कासित किए जाने पर, या

(ii) दुराचार या अकुशलता या

(iii) अपने अनुरोध पर परंतु पेंशन के बिना, अथवा

(iv) वह इस प्रकार के आरक्षित को लंबित करने के लिए स्थानांतरित नहीं किया गया है कि

%b) सैनिक सेवा के कारण शारीरिक विकलांगता के कारण

%c) सैनिक सेवा में 5 वर्ष तक रहने के बाद अनुपयुक्त पाए जाने service

3. वह समय-समय पर संशोधित भूतपूर्व सैनिक (सेंट्रल सिविल सेवाओं और पदों में पुनः नियोजन) नियम, 1979 की परिभाषा में आता हो।

स्थान:

सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर, नाम तथा पदनाम **

तिथि:

मुहर

% जो पैराग्राफ लागू न हो उसे काट दें।

** जो अधिकारियों की सशस्त्र बल कार्मिक को आयु छूट प्रदान करने हेतु प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सक्षम हैं वे निम्न हैं:

(क) ईसीओ/एसएससीओ सहित आयुक्त अधिकारियों के मामले में: थल सेना: सैनिक सचिव शाखा, आर्मी हैडक्वार्टर, नई दिल्ली: जल सेना: कार्मिक निदेशालय, नेवल हैडक्वार्टर, नई दिल्ली: वायु सेना: कार्मिक अधिकारी निदेशालय, वायु हैडक्वार्टर, नई दिल्ली।

(ख) जेसीओ/ओआर तथा जल सेना व वायु सेना में इसके समकक्ष के मामलों में: वायु सेना: विविध रेजीमेंटल रिकार्ड कार्यालयों द्वारा, जल सेना: बीएबीएस, मुम्बई: वायु सेना: वायु बल रिकार्ड, नई दिल्ली।

प्रोफार्मा - बी

सेवारत कार्मिक हेतु प्रमाण पत्र का फार्म
(उन सेवारत कार्मिक पर लागू जिन्हें एक वर्ष के भीतर मुक्त कर दिया गया)

यह प्रमाणित किया जाता है कि संख्या _____ रैंक का _____ नाम _____ का व्यक्ति वायु/जल/सेना में
_____ से सेवारत है।

2. अपने कार्य की विशिष्ट अवधि को पूरा हो जाने पर वह 31.07.2017 को या पूर्व सेवानिवृत्त /मुक्त किए जाने का पात्र है। .

3. उसके विरुद्ध कोई भी अनुशासनिक कार्यवाही लंबित नहीं है।

स्थान :

सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर, नाम तथा पदनाम **

तिथि :

मोहर

** जो अधिकारियों की सशस्त्र बल कार्मिक को आयु छूट प्रदान करने हेतु प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सक्षम हैं वे निम्न हैं:

(क) इसीओ/एसएससीओ सहित आयुक्त अधिकारियों के मामले में: थल सेना: सैनिक सचिव शाखा, आर्मी हैडक्वार्टर, नई दिल्ली: जल सेना: कार्मिक निदेशालय, नेवल हैडक्वार्टर, नई दिल्ली: वायु सेना: कार्मिक अधिकारी निदेशालय, वायु हैडक्वार्टर, नई दिल्ली।

(ख) जेसीओ/ओआर तथा जल सेना व वायु सेना में इसके समकक्ष के मामलों में: वायु सेना: विविध रेजीमेंटल रिकार्ड कार्यालयों द्वारा, जल सेना: बीएबीएस, मुम्बई: वायु सेना: वायु बल रिकार्ड, नई दिल्ली।

प्रोफार्मा - सी

वायु दल के उन सेवारत कर्मचारियों द्वारा दी जाने वाली वचनबद्धता जिन्हें एक वर्ष के भीतर मुक्त किया जाना है।

- (1) मैं समझता हूँ कि इस आवेदन से संबद्ध परीक्षा/भर्ती के आधार पर यदि मेरा चयन कर लिया जाता है तो मेरी नियुक्ति मेरे द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने पर नियोक्ता अधिकारी की संतुष्टि के तहत होगी और कि मुझे थल सेना से विधिवत् रूप से सेवानिवृत्त/मुक्त कर दिया गया है और मैं समय-समय पर संशोधित भूतपूर्व सैनिक (री-एम्प्लॉयमेंट इन सेंट्रल सिविल सर्विसिज एंड पोस्ट्स) नियम 1979, के नियमानुसार भूतपूर्व सैनिक को देय लाभांश का पात्र हूँ।
- (2) मैं यह भी समझता हूँ कि यदि ऐसी नियुक्ति से पूर्व किसी भी समय मैंने सिविल में सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम, स्वायत्त निकाय/सांविधिक निकाय, राष्ट्रीय बैंक, इत्यादि) कभी कोई नौकरी की, तो इस परीक्षा द्वारा मिलनेवाली भर्ती के संबंध में किसी रिक्ति में भूतपूर्व सैनिक की छूट प्राप्त करने का पात्र नहीं हूँगा।

उम्मीदवार का नाम व हस्ताक्षर

स्थान :

तिथि :

प्रोफार्मा - डी

सेवारत कार्मिक हेतु प्रमाण पत्र का फार्म

उन सेवारत कार्मिक पर लागू जिन्होंने अपना प्रारंभिक कार्य पूर्ण कर लिया है और वे विस्तारित कार्य कर रहे हैं।

यह प्रमाणित किया जाता है कि संख्या _____ रैंक _____ नाम _____ जिनका जन्म तारीख _____ है थल/वायु/जल सेना में दिनांक _____ से सेवारत हैं।

2. उन्होंने अपने प्रारंभिक पांच वर्ष के कार्यकाल दिनांक _____ को पूर्ण कर लिया है तथा वह दिनांक _____ तक विस्तारित कार्य पर हैं।
3. उनके सिविल रोजगार के आवेदन करने पर कोई आपत्ति नहीं है और उनके चयन हेतु नियुक्ति संबंधी प्रस्ताव प्राप्त होने की तारीख से तीन माह के नोटिस पर कार्यमुक्त कर दिया जाएगा।

सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर, नाम तथा पदनाम **

स्थान :

तिथि :

मोहर

** जो अधिकारियों की सशस्त्र बल कार्मिक को आयु छूट प्रदान करने हेतु प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सक्षम हैं वे निम्न हैं:

(क) ईसीओ/एसएससीओ सहित आयुक्त अधिकारियों के मामले में: थल सेना: सैनिक सचिव शाखा, आर्मी हैडक्वार्टर, नई दिल्ली: जल सेना: कार्मिक निदेशालय, नेवल हैडक्वार्टर, नई दिल्ली: वायु सेना: कार्मिक अधिकारी निदेशालय, वायु हैडक्वार्टर, नई दिल्ली।

(ख) जेसीओ/ओआर तथा जल सेना व वायु सेना में इसके समकक्ष के मामलों में: वायु सेना: विविध रेजीमेंटल रिकार्ड कार्यालयों द्वारा, जल सेना: बीएबीएस, मुम्बई: वायु सेना: वायु बल रिकार्ड, नई दिल्ली।